न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा जिला बुलन्दशहर।
सत्र वाद संख्या : 36/2023
सरकार बनाम कुमरजीत आदि।

बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं०

नाम- कुंवरजीत पिता का नाम- धन्नी उम्र- 33 पेशा- मजदूरी
निवासी- मौ० पंजाबियान थाना- खुर्जा नगर
जिला- बुलन्दशहर।

प्रश्न 1- यह कि अभियोजन कथानक के अनुसार वर्ष 2014 से दिनांक 24.08.2020 के मध्य विभिन्न समय में आपने वादी मुकदमा आकाश की बहन चंचल को अतिरिक्त दहेज के रूप में एक बाईक व 50 से 60 हजार रूपये की मांग की गयी तथा उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?
उत्तर- अभियोजन कथानक झूंठा है। अभियुक्त ने कभी भी चंचल से अतिरिक्त दहेज में बाईक या 50-60 हजार रूपये की मांग नहीं की और ना ही शारीरिक व मानसिक प्रताड़ित किया।

प्रश्न 2- यह कि अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 24.08.2020 को समय करीब 15:00 बजे, घटनास्थल मो० पंजाबियान, थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर में आपने वादी मुकदमा की बहन चंचल से अतिरिक्त दहेज में एक बाईक व 50 से 60 हजार रूपये की मांग को लेकर चंचल को मारापीटा गया, जिससे विवाह के 7 वर्ष के अन्दर उसकी मृत्यु कारित की गयी। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?
उत्तर- अभियुक्त ने चंचल के साथ कोई मारपीट नहीं की। अभियुक्त घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, सुबह को ठैली लगाने बाहर चला गया था।

प्रश्न 3- यह कि आपने पी०डब्लू० 1 साक्षी आकाश कुमार के बयान सुने जिन्होंने अपने साक्ष्य में सशपथ कथन किया गया है कि मेरी बहन चंचल की शादी दिनांक 03.12.2014 को कुंवरजीत के साथ हुई थी। कुंवरजीत पुत्र धन्नी मौहल्ला पंजाबियान बारादरी खुर्जा के रहने वाले हैं। मेरी बहन का पति कुंवरजीत व देवर सुनील मेरी बहन चंचल से अतिरिक्त दहेज में नकद पैसों की मांग करते थे और कहते थे कि अपने मायके से रूपये लाकर दो। मेरी बहन जब भी मायके आती थी तभी अपने पति कुंवरजीत व देवर सुनील के द्वारा अतिरिक्त दहेज में नकद रूपये मांगने के बारे में बताती थी। दो–तीन बार चंचल ने यह भी बताया था कि मेरा पति पैसे लाने की मांग को लेकर मुझे प्रताड़ित करता है और आये दिन मेरे साथ मारपीट करता है तथा मुझे जान से मारने की धमकी देता है। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है?
उत्तर- पी०डब्लू० 1 आकाश का साक्ष्य बिल्कुल मनगंढ़त व झूंठा है। यदि अभियुक्त कुंवरजीत या देवर सुनील के द्वारा अतिरिक्त दहेज के लिए कोई मारपीट या मांग की जाती तो पी०डब्लू० 1 या इसके परिवारजनों द्वारा थाने पर कोई शिकायत अवश्य होती।

प्रश्न 4- साक्षी पी०डब्लू० 1 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि दिनांक 24.08.2020 को अभियुक्त सुनील (देवर) ने हमारे घर वाले फोन करीब 03 बजे दिन में फोन करके बताया था कि चंचल को हार्ट अटैक आया है। हमने उनसे कहा कि आप चंचल को हॉस्पिटल लेकर चलो, हम भी आ रहे हैं। फिर 15–20 मिनट बाद दोबारा चंचल की ससुराल से फोन आया था। फोन करने वाले ने बताया था कि चंचल की मृत्यु हो गई है। फोन करने वाले ने बताया था कि चंचल की मृत्यु फांसी लगाने से हुई थी। आशंका होने पर मैने सौ नम्बर पर पुलिस को फोन किया था। मुझे यह आशंका हुई थी कि मुल्जिमान कुंवरजीत व सुनील ने चंचल की हत्या कर दी है। फिर हम तुरन्त अपने घर से चंचल की ससुराल के लिये चल दिये थे। जब हम चंचल की ससुराल पहुंचे तो मेरी बहन चंचल की लाश बेड पर फ्रीज के गत्ते पर पड़ी हुई थी। चंचल की नाक व सिर में से खून निकल रहा था। जब लॉकडॉउन के समय मार्च 2020 में मेरा एक्सीडेन्ट हुआ था, तब चंचल हमारे यहां आई हुई थी। चंचल ने मम्मी को बताया था कि कुंवरजीत व सुनील मेरे साथ मारपीट करते हैं। उसके बाद वह

अपनी ससुराल चली गई थी। ससुराल पहुंचने के बाद चंचल ने हमें कुछ नहीं बताया था। इस घटना की तहरीर मैने थाना खुर्जा नगर पर स्वयं लिखकर दी थी, जो पत्रावली कागज संख्या 4A/3 व 4A/4 मेरे सामने मौजूद है। इस पर मेरे हस्ताक्षर है। इस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया।इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर- PW-01 आकाश का साक्ष्य झूंठा है। सुनील ने हार्ट अटैक की कोई बात फोन पर नहीं की थी, क्योंकि चंचल ने स्वयं फांसी लगायी थी और वह खत्म हो चुकी थी। उसका शव भी बरामदे में था ना कि बेड पर। कुंरवजीत व सुनील ने कभी कोई मारपीट नहीं की थी। घटना से पहले मारपीट की कोई शिकायत नहीं थी।

प्रश्न 5- यह कि आपने पी०डब्लू० 2 साक्षिया श्रीमती विट्टो के बयान सुने जिन्होंने अपने साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि मृतक चंचल मेरी बेटी थी। चंचल की शादी कुंवरजीत के साथ दिनांक 03.12.2014 में की थी। मेरी बेटी चंचल को शादी के बाद से लोग ठीक ठाक नहीं रखते थे। कुंवरजीत व उसके परिवार वाले प्रेमवती, देवर सुनील, लखमीचन्द मामा ने हमसे शादी में बाईक की मांग की थी। हम बाईक नहीं दे पाये थे तो इन्होंने हमसे साठ–सत्तर हजार रूपये की मांग की थी। इसी बात को लेकर ये लोग चंचल को परेशान करते थे। परेशान करने वाली बात मेरी बेटी चंचल ने बतायी थी। एक बार दिवाली पर भईया दौज पर चंचल हमारे पास आयी थी, तब उसने मुझसे इन लोगों की दहेज वाली शिकायत मुझसे की थी। तब हमने चंचल को भेजी नहीं था। मैने इस शिकायत को सुनने के बाद मैने कुछ पैसे की मदद बीच–बीच में अपनी बेटी की मदद की थी। इसके बाद इन लोगों की पैसे मांगने की हबस और बढ़ गयी थी। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर- PW-02 का सम्पूर्ण साक्ष्य झूठा है। कुंरवजीत, परिवार वाले प्रेमवती, देवर सुनील व लख्मीचन्द मामा ने कभी भी ना तो बाईक की मांग की थी और ना ही रूपये मांगे थे। चंचल लगातार ससुराल में रही थी और खुश थी।

प्रश्न 6- साक्षी पी०डब्लू० 2 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि घटना 24 अगस्त 2020 की है। चंचल के देवर सुनील ने हमारे पास दूसरी मेरी बेटी वर्षा के फोन पर फोन किया था। उस समय दोपहर का समय था तो सुनील ने बताया था कि चंचल भाभी को अटैक आया है। हमने सुनील को कहा कि चंचल को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, हम आ रहे है। फिर सुनील का दोबारा फोन थोड़ी देर बाद आया कि चंचल भाभी ने फांसी लगा ली है और वह खत्म हो गयी है। हमको शंका हुई तो मैने अपने बेटे आकाश को बताया तो मेरे बेटे आकाश ने तुरन्त ही 100 नम्बर पर फोन कर दिया। फिर हम दिल्ली अपने घर से चंचल की ससुराल आये तो हमको चंचल के घर पुलिस मौजूद मिली। मैने चंचल को बेड पर पड़े हुये देखा। बेड पर हमारा दिया हुआ गद्दा भी नहीं था और सिर के नीचे गत्ते वाला कार्टून लगा रखा था और चंचल के कान व नाक से खून निकल रहा था। फिर इस घटना की रिपोर्ट मेरे बेटे आकाश ने थाने में लिखवायी थी। ये सब बातें जो आज में न्यायालय में बता रही थी, पुलिस वालों को बयान लेते वक्त बता दी थी। चंचल के मरने से पांच दिन पहले चंचल के साथ इन लोगों ने मारपीट की थी, उसके अगले दिन चंचल ने मुझे फोन करके बतायी थी। मुझे फोन करके बतायी थी कि मुझे यहां से ले जाओ, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। मैने चंचल से कहा था कि बेटा अभी लॉकडाउन लगा है, मरीज बढ़ रहे हैं, सही समय आने पर तुझे हम ले आयेंगे। बारह मार्च 2020 को मेरे बेटे आकाश का एक्सीडेन्ट हुआ था तो चंचल उसे देखने अस्पताल में आयी थी, तब भी उसने मुझे मारपीट करने वाली बात, दहेज मांगने वाली बात व जान से मारने की बातें बतायी थी। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर- PW-02 विट्टो का सम्पूर्ण कथानक झूठा है। सुनील ने कभी भी हार्ट अटैक आने की बात फोन पर नहीं की थी। चंचल के साथ मारपीट की शिकायत ना तो दिल्ली में और ना ही खुर्जा में। PW-02 ने ना ही PW-01 ने की थी। लॉकडाऊन में चंचल, कुंरवजीत के साथ ही दिल्ली गई थी।

प्रश्न 7- यह कि आपने पी०डब्लू० 3 साक्षिया वर्षा के बयान सुने जिसने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि मृतका चंचल मेरी बहन थी। मेरी बहन की शादी कुंवरजीत के साथ 03.12.2014 को हुयी थी। मेरी बहन चंचल को शादी के बाद से ही उसकी सास प्रेमवती, मामा लख्मीचन्द, पति कुंवरजीत, देवर सुनील ठीक ठाक नहीं रखते थे और प्रताड़ित करते थे और बाईक एवं पैसे आदि की मांग करते थे। मेरी बहन चंचल से मेरी बात हुयी थी तो एक–दो बार उन्होंने मुझे दहेज मांगने वाली

बात बतायी थी। मैने अपनी बहन को समझाया था और मेरी मम्मी ने भी छुपकर एक दो बार पैसे दिये थे। मेरी मम्मी ने उसकी ससुराल वालों को भी समझाया था। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर- पी०डब्लू० 3 वर्षा का साक्ष्य झूठा है। कुंवरजीत, सुनील, प्रेमवती या मामा लख्मी ने कभी ना तो बाईक मांगी और ना ही कभी पैसे मांगे। मामा लखमी फरीदाबाद हरियाणा में रहते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है।

प्रश्न 8- साक्षी पी०डब्लू० 3 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि दिनांक 24.08.2020 को उनकी डेथ हुई थी तो चार बजे के आस पास मेरे पास उसके देवर सुनील का फोन आया था कि चंचल की तबियत खराब हो गयी है तो हमने कहा कि उनको अस्पताल लेकर जाओ। हम आ रहे है। थोड़ी देर बाद ही हमको पता चला कि उनको हार्ट अटैल की दिक्कत हुई। यह बात भी हमको सुनील ने ही बतायी थी। तब हमारी बात फोन पर हो रही थी,तब उन्होंने ही बताया कि तुम्हारी बहन ने फांसी लगा ली है। यह सब बातें मैने अपनी मम्मी को बतायी। मेरी मम्मी ने यह बातें आकाश को बतायी और आकाश ने पुलिस पर कॉल की थी और फिर हम सब लोग वहां से निकलकर खुर्जा आ गये। जब हम खुर्जा चंचल की ससुराल आये तो हमने देखा कि चंचल बिना गद्दे के बेड पर पड़ी थी और चोंट लगी थी। उसकी नाक से खून निकल रहा था। एक कार्टून बेड पर रखा था। मेरी बहन चंचल के ससुराल वाले पति कुंरवजीत, देवर सुनील, सास प्रेमवती और उसके ममिया ससुर लख्मीचन्द ने दहेज ना मिलने की वजह से मेरी बहन चंचल की हत्या की थी। मेरा पुलिस वालों ने ब्यान लिया था। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर– पी०डब्लू० 3 का साक्ष्य झूठा है। सुनील की कोई बात पी०डब्लू० 3 से नहीं हुई थी ना ही हार्ट अटैक के बारें में बताया था। कुंवरजीत, देवर सुनील, सास प्रेमवती व ममिया ससुर लख्मीचन्द ने कभी दहेज नहीं मांगा और ना ही हत्या की।

प्रश्न 9- यह कि आपने पी०डब्लू० 4 साक्षी राजू के बयान सुने जिसने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया कि इस मुकदमे की मृतका चंचल मेरी बेटी थी। मैने अपनी बेटी चंचल की शादी कुंवरजीत के साथ दिनांक 03.12.2014 को की थी। घटना दिनांक 24.08. 2020 की है, उस दिन चंचल के देवर सुनील का फोन मेरी बेटी वर्षा के फोन आया था। उन्होंने कहा कि चंचल को अटैक आ गया है, कुछ देर बाद दोबारा फोन समय करीब 3:10 बजे, पहले आये फोन के करीब 10 मिनट बाद आया था और बताया था कि तुम्हारी बेटी चंचल मर गयी है। पहली बार जब फोन हमारे पास बेटी पर आया था तब हमने कहा कि चंचल को अस्पताल लेकर चलो हम आ रहे है। मेरे बच्चों ने फिर मेरे लड़के आकाश पर फोन किया था, फिर लड़के आकाश को घटना बतायी थी। घटना सुनकर आकाश ने पुलिस को 100 नम्बर पर फोन किया। फिर हम लोग सभी परिवार चार बजे के करीब दिल्ली से खुर्जा के लिये चले थे। जब हम घर पर खुर्जा आये तो चारो तरफ पुलिस ही पुलिस मौजूद थी। हमारी बेटी कमरे में बेड पर पड़ी थी, उसके नीचे गद्दा भी नहीं था। मेरी बेटी चंचल की नाक व मुंह से खून निकल रहा था। उसके बाद हम लड़की चंचल को पुलिस की गाड़ी में डालकर अस्पताल को लेकर गये थे। फिर वहां से लड़की को पोस्टमार्टम के लिये लेकर गये थे। लड़की का पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार अपने गांव टटी डंडिया त० सिकन्द्राराऊ में किया था। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर- सुनील ने फोन पर आत्महत्या करने वाली बात बताई थी। किसी अटैक के बारें में नहीं बताया था। बयानों में विरोधाभास है। चंचल की बॉडी बेड पर नहीं थी, बल्कि बरामदे में फर्श पर थी। साक्ष्य झूठा है।

प्रश्न 10- साक्षी पी०डब्लू० 4 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि इस घटना की रिपोर्ट मेरे लड़के आकाश ने लिखवायी थी। खुर्जा आने के बाद हमने चंचल के बारे में पता किया था तो किसी ने कुछ नहीं बताया था। इन लोगों ने बोला था कि चंचल ने फांसी लगायी है। प्रेमवती, सुनील, कुंवरजीत, लख्मीचन्द ने चंचल द्वारा फांसी लगाने वाली बात बतायी थी। शादी के होने बाद चंचल के साथ दो–चार बार मारपीट की थी। लखमीचन्द ने बाईक व पचास साठ हजार रूपये की मांग करी थी। लखमीचन्द मेरी लड़की का ममिया ससुर है। कुंवरजीत ने भी मेरी बेटी चंचल के साथ दो–चार बार मारपीट की थी। इस वजह से मेरी पत्नी ने मुझसे छिपाकर एक दो बार कुंवरजीत को रूपये दिये थे। चंचल के मरने के चार पांच दिन पहले कुंरवजीत ने घर पर मारपीट करी थी और उसे

जान से मारने की धमकी भी दी थी। यह बात मेरे बच्चों ने मुझे बतायी थी। एक दो बार चंचल ने मुझे भी यह बात बतायी थी। चंचल ने फोन पर बताया था कि मुझे मारने की धमकी दे रहे, मुझे लेकर चले जाओ। तो मैने कहा था कि लॉकडाऊन का समय चल रहा है, कुछ दिन रूक जाओ, फिर तुमको बुला लेंगे। चंचल मरने पर पहले हमारे घर जब आकाश का 12 मार्च 2020 को एक्सीडेन्ट हुआ तभी आयी थी। उसके बाद कुंरवजीत हमारे यहां दिल्ली से अपने साथ ले गया थे। फिर जाने के बाद उसको परेशान किया और उसके साथ मारपीट की थी। पुलिस ने हमारा बयान लिया था। सारी बात पुलिस को मैने बता दी थी। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर- चंचल की शादी के बाद व घटना से पहले कभी भी पति कुंवरजीत , देवर सुनील, सास प्रेमवती व ममिया ससुर लख्मी ने ना तो मोटरसाईकिल मांगी थी ना ही मारपीट की थी। चंचल के मायके वालों ने कभी कोई मारपीट या दहेज मांगने वाली या प्रताड़ित करने वाली शिकायत किसी थाने में नहीं की थी। यदि कुंवरजीत या अन्य ससुरालीजनों द्वारा चचंल के साथ मारपीट की जाती या दहेज मांगा जाता तो कोरोना में कुंवरजीत चंचल को लेकर अपनी ससुराल दिल्ली आकाश को कभी देखने नहीं जाता, वहां रूका भी था। साक्ष्य झूठा व मनगढ़ंत है।

प्रश्न 11- आपने पी०डब्लू० 5 साक्षिया गंगा देवी के बयान सुने जिसने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया कि मैं अनपढ़ हूं, पढ़ी–लिखी नहीं हूं। मैं हस्ताक्षर नहीं करती हूं, अंगूठा लगाती हूं। चंचल मेरी बहन की लड़की लगती थी, चंचल की शादी कुंवरजीत के साथ मैने करायी थी, शादी के बाद चंचल अपनी ससुराल में अपने पति कुंवरजीत के साथ रहती थी। शादी के बाद चंचल को सुनील, प्रेमवती, लखमी, कुंवरजीत परेशान करते थे। ये लोग मोटरसाईकिल और दान–दहेज में पैसा मांगते थे। मेरी बहन बिट्टो ने इन लोगों को पैसे दिए भी थे। यह सभी बातें मुझे मेरी बहन की लड़की चंचल ने बताई थी। जब मैं चंचल के घर पर गई थी, तब ये बातें बतायी थी और फोन पर भी बतायी थी। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर- पी०डब्लू० 5 गंगा देवी का साक्ष्य झूठा है। कुंवरजीत या उसके परिवारजनों ने चंचल से कभी कोई मोटरसाईकिल या दान दहेज की मांग नहीं की थी। लख्मी दूर का रिश्तेदार ममिया ससुर है, जो कि परिवार सहित फरीदाबाद में रहता है। कभी कोई पैसे बिट्टो ने कुंवरजीत को नहीं दिए।

प्रश्न 12- साक्षी पी०डब्लू० 5 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कहा गया है कि घटना की दिनांक 24 तारीख सावन का महीना सन् 20 है। मुझे 4 बजे मुझे मेरी भाभी गुड़िया ने फोन पर मुझे सूचना दी थी कि चंचल को मार दिया है। मैने पूछा कैसे मार दिया है, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बता सकती पर मार दिया है। सूचना मिलने के बाद हम उसी दिन रात को आठ बजे चंचल की ससुराल आए थे, चंचल नहीं मिली थी। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, फिर हम पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। फिर हम पोस्टमार्टम होने के बाद चंचल की मिट्टी को अपनी बहन के साथ तटी डंडिया ले गए थे और वहीं पर चंचल का दाह संस्कार कर दिया था। चंचल के बताने के बाद मैने कुंरवजीत व इनकी मां प्रेमवती को समझाया था, लेकिन वो नहीं माने थे। मेरा पुलिस ने बयान लिया था और मैने पुलिस को सब बातें बता दी थी, जो मुझे पता थी। मुझे पता चला था कि इन्हीं लोगों ने चंचल को मार दिया था और भाग गए थे। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर- पी०डब्लू० 5 का सम्पूर्ण साक्ष्य झूठा है।

प्रश्न 13- आपने पी०डब्लू० 6 साक्षी H.C अवधेश कुमार (680) हाल तैनाती पुलिस कार्यालय बुलन्दशहर के बयान सुने जिसने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 24.08.2020 को मैं बतौर का० क्लर्क थाना खुर्जा नगर में तैनात था, उस दिन मेरी ड्यूटी कार्यलेख पद पर रात 08 बजे से अगले दिन सुबह 08 बजे तक थी। उस दिन वादी मुकदमा आकाश पुत्र राजू निवासी सुभाष विहार भजनपुरा दिल्ली की लिखित तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 837/2020 अन्तर्गत धारा 498A, 304B IPC व 3/4 D.P Act बनाम कुंरवजीत आदि 4 नफर की चिक एफ.आई.आर. ऑपरेटर सहदेव उपाध्याय से अंकित करायी थी। पत्रावली पर मौजूद का०सं० 4A/1 लगायत 4A/2 को देखकर साक्षी ने कहा कि वह वही FIR चिक है जो मेरे द्वारा बोल–बोलकर कम्प्यूटर ऑपरेटर सहदेव उपाध्याय से लिखाई गई थी, जिस पर थाने की मोहर और वरिष्ठ उपनिरीक्षक के हस्ताक्षर है। चिक FIR पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। इस मुकदमे का खुलासा मेरे द्वारा थाने की ऑन लाइन जी.डी में GD नं०–4 समय 01:24 बजे दिनांक 25.08.2020 को किया। पत्रावली पर मौजूद

का०सं० 17B/11 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही G.D है, जो थाने की ऑनलाईन G.D. सं० 4 है, जो मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर टाईप की गई थी, इस पर थाने की मोहर है, इसे आज मैं अपने हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित करता हूं। G.D सं० 4 समय 01:24 बजे दिनांकित 25.08.2020 जो का०सं० 17B/11 के रूप में है इस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर- पी०डब्लू० 6 का साक्ष्य आंशिक रूप से झूठा है।

प्रश्न 14- यह कि आपने पी०डब्लू० 7 साक्षी डॉक्टर अमित कुमार सिंह के बयान सुने जिन्होंने अपने साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 25.08.2020 को मेरी तैनाती जिला चिकित्सालय बुलन्दशहर में पोस्टमार्टम हाउस पर थी। उस दिन थाना खुर्जा नगर से का० नीलम व का० सुनील कुमार मृतका चंचल पत्नी कुंरवजीत निवासी मौ० बारादरी पंजाबियान थाना खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर जिसकी उम्र करीब 26 वर्ष के आस–पास थी के शव को पोस्टमार्टम कराने हेतु हमारे पैनल के पास लेकर आए थे। पैनल में मेरे साथ सहयोगी के रूप में डॉक्टर एस०के० इन्दू जिनकी मूल तैनाती SSMJ खुर्जा बुलन्दशहर पर भी थी। पैनल की परगना तहसीलदार खुर्जा नीरज द्विवेदी ने की थी, जिस पर पैनल गठित हुआ था। शव हमारे द्वारा दिनांक 25.08.2020 को समय 1:30 PM पर प्राप्त किया गया था। मृतका के शव का पोस्टमार्टम हमारे द्वारा उसी दिनांक को समय 02:30 P.M पर आरम्भ किया गया था। मृतका चंचल के शव की शिनाख्त साथ आए पुलिसकर्मी द्वारा की गयी थी और शव के साथ कुल ग्यारह अन्वेषण प्रपत्र प्राप्त हुये थे। शव की ऊंचाई लगभग 4 फिट 10 इंच के आस पास थी। शव की मृत्यु के पश्चात् की अकड़न पूरे शरीर पर मौजूद थी। शव विच्छेदन के समय शव के आंख व मुंह बन्द थे और चेहरा कन्जेस्टेड़ था और शव के दोनों नाक के नथुनों में रूका हुआ सूखा ब्लड़ जमा था। शव के शरीर पर निम्न एन्टीमॉर्टम इन्जरी मौजूद थी। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर- पोस्टमार्टम हुआ था, यह बात सही है। लेकिन अभियुक्तगण द्वारा चंचल की हत्या नहीं की गई थी। बल्कि उसने पंखे से लटककर आत्महत्या की थी।

प्रश्न 15- साक्षी पी०डब्लू० 7 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि शव के शरीर पर निम्न एन्टीमॉर्टम इन्जरी मौजूद थी–

चोट नं०–1 एक लिगेचर मार्क जिसका साईज 34 से०मी० x 2.50 से०मी० गर्दन के चारों तरफ होरीजेन्टल स्थान पर था। यह लिगेचर मार्क दाहिने कान से 6 से०मी० नीचे व बायें कान से 5 cm नीचे था। जब इस लिगेचर मार्क के नीचे जब गर्दन को खोला गया तो शव कुरेनियस टिशू फाउन्ड एकोमोसाईड एन्ड Hyoid Bone फ्रेक्चर्ड पायी गई।

चोट नं०- 2 कंट्यूजड स्वैलिंग जिसका 4 cm x 2 सेमी जो सिर के दाहिने तरफ दाहिने कान से 5 cm ऊपर था। जब इसे खोला गया तो इसके नीचे की हड्डी फ्रैक्चर पाई गई और ब्रेन मैम्बरेन लैसिरेटेड़ पाई गई और इसकी क्रैनियल कैविटी में लगभग 50 ML ब्लड मौजूद मिला। आन्तरिक परीक्षण में मस्तिष्क नोटिड़ (Noted) है व नैक नोटिड है। छाती में दाहिनी व बांयां फेफड़ा कन्जेस्टेड़ है। आमाश्य में 200 ML अधपका खाना मौजूद था तथा लीवन कन्जेस्टेड़ व गॉल ब्लेडर आधे भरे थे। प्लीहा कन्जेस्टेड़ था और दोनों दायीं-बायीं किडनियां कन्जेस्टेड़ थी व शव की बच्चादानी में कोई भ्रूड नहीं था। मृतका चंचल की मृत्यु का सम्भावित समय दिन के 3/4 भाग के बराबर था और मृत्यु का तात्कालिक कारण एन्टीमॉर्टम इन्जरी व स्ट्रैंगुलेशन और मृत्यु की वजह सांस घुटना और स्ट्रैंगुलेशन थी। ये सभी चोटें मृत्यु पूर्व की थी। मेरी राय में ऐसा हो सकता है कि मृतका के सिर पर पहले चोंट मारी गई हो और उसका गला घोंटकर मृत्यु कारित की गई हो। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि मृतका के सिर की हड्डी खोलने पर फ्रैक्चर्ड मिली थी। इस पोस्टमार्टम की वीड़ियोग्राफी फील्ड यूनिट से आये कां० मुकुल राज के द्वारा की गई थी। वीड़ियोग्राफी पर एन्क्लोजर नं-9 पड़ा था। मृतका चंचल की यह चोंटे हमारे द्वारा बनाए गए डायग्राम पर भी दर्शायी गयी हैं। यह पोस्टमार्टम मेरे द्वारा दिनांक 25.08.2020 को समय 3:20 PM पर समाप्त किया गया था। हमारे द्वारा कुल 12 अन्वेषण प्रपत्र साईन किए गए थे। इस पोस्टमार्टम की 1+2 प्रतियां अन्वेषण पत्र शव वस्त्र, पांच सीलबन्द लिफाफों में साथ आयी महिला कां० नीलम को सुपुर्द किए गए थे। पोस्टमार्टम पूर्ण होने के पश्चात् मैने व मेरे साथी डॉक्टर एक०के०इन्दू ने इसपर अपने हस्ताक्षर किए थे। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद

का० सं० 9A/1 लगायत 9A/3 जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नं० 683/2020 जो कि मृतका चंचल की है, को देखकर कहा कि यह PM रिपोर्ट मेरे द्वारा अपने हस्तलेख में तैयार की गई थी। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क-4** डाला गय। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर- उक्त सभी चोंटे चंचल को लोगों द्वारा पंखे से उतारने पर आयीं होंगी। क्योंकि पुलिस के आने से पहले मौजूद लोगों ने चंचल द्वारा आत्महत्या करने के बाद शव को पंखे से उतारकर नीचे रख लिया था। फिर बरामदे में रख लिया था। कुंवरजीत या उसके परिजनों ने कभी कोई मारपीट चंचल के साथ नहीं की थी।

प्रश्न 16- यह कि आपने पी०डब्लू० 8 साक्षी नीरज कुमार द्विवेदी के बयान सुने जिन्होंने अपने साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि मैं दिनांक 24.08.2020 को तहसीलदार खुर्जा के पद पर तैनात था। उस दिन S.D.M खुर्जा ने मुझे दूरभाष, पर मुझे अवगत कराया था कि मोहल्ला पंजाबियान खुर्जा में एक महिला का शव पड़ा है औऱ आप वहां पर पहुंचकर पंचायतनामा की कार्यवाही कराए। वहां पर मौके पर थानाध्यक्ष मौजूद मिले थे। मय फोर्स दीगर कागजात के मौजूद मिले थे। मृतका का नाम चंचल पत्नी कुंवरजीत है, स्थित मोहल्ला बारादरी मोहल्ला पंजाबियान खुर्जा है। मेरे बोलने पर पंचायतनामा की कार्यवाही उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार द्वारा समय लगभग छः बजे प्रारम्भ की गई थी। महिला कां० नीलम भी पंचायतनामे की कार्यवाही करते समय मौजूद थी। पांच पंच नियुक्त किए गए थे, जिनके नाम आकाश, सतीश, जयपाल, कालीचरन, पोविन्द्र है। जब मैं पहुंचा था, तब शव अन्दर कमरे में बेड पर पड़ा हुआ था। पंचायतनामे की कार्यवाही करते समय शव को नीचे जमीन पर रखवाया गया था। शव का सिर उत्तर दिशा था और पैर दक्षिण दिशा में था। शव की दोनों आंखें बंद थी, शव का मुंह हल्का खुला था, जीभ हल्की सी बाहर थी। शव का रंग गेहुंआ था। शव के आंख, नाक, कान औसत थे, कद औसत, उम्र करीब 26 वर्ष शव एकहरा मजबूत किस्म का था, हथेली के पीछे ओम (ॐ) गुदा हुआ था। शव का हरा सूट था, सलवार गुलाबी रंग का था। शव पर जो सम्पत्ति मिली थी उसका विवरण पंचायतनामे में अंकित कराया था। शव मृतका पर चोंटे महिला कां० नीलम द्वारा देखकर बताया था। मृतका शव के गले पर नीलगू का निशान था, अन्य कोई जाहिरा चोंट नहीं थी। पंचायतनामे पर राह पंचान अंकित की गयी थी। पंचों ने बताय था कि गले में फांसी का फन्दा डालकर पंखे पर लटकाने से मृत्यु हई है। मेरे द्वारा अपने हस्तलेख में पंचायतनामे पर अपनी राय अंकित की थी। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव को शील सर्वे मोहर कर का० सुनील कुमार व महिला कां० नीलम को सुपुर्द कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मेरे द्वारा पंचायतनामे के साथ आए दीगर कागजातों पर हस्ताक्षर किए गए थे। पंचायतनामे की कार्यवाही समय 07:30 बजे समाप्त की गयी थी। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर- पी०डब्लू० 8 का सम्पूर्ण साक्ष्य पुलिस कार्यवाही पंचनामे से संबंधित है। पी०डब्लू० 7 व पी०डब्लू० 8 के बयानों में विरोधाभास है। शरीर पर कोई चोट नहीं थी। और मृतका ने गले में फंदा डालकर पंखे से लटककर आत्महत्या की थी।

प्रश्न 17- साक्षी पी०डब्लू० 8 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि गवाह ने पत्रावली पर पेपर सं० 8A/2 ता 8A/4 को देखकर बताया कि यह वही पंचायतनामा है, जो मेरे द्वारा बोले जाने पर S.I जितेन्द्र कुमार द्वारा भरा गया था। इस पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पहचान की। इस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। पत्रावली पर पेपर सं० 8A/5 चिट्ठी सी.एम.ओ. को देखकर बताया कि इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया। गवाह ने पत्रावली पर पेपर सं० 8A/6 नमूना शील, पेपर सं० 8A/7 व 8A/8 फार्म 13 व पेपर सं० 8A/9 फोटोनाश, इन सभी प्रपत्रों पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान करके बताया कि इन प्रपत्रों पर मेरे ही हस्ताक्षर है। इन सभी प्रपत्रों को मेरे निर्देश पर S.I जितेन्द्र कुमार द्वारा अपने हस्तलेख में तैयार किया गया था। इन प्रपत्रों पर **प्रदर्श क–7 लगायत प्रदर्श क–9** डाले गए। फोन पर बात करके विवेचक ने मेरा बयान लिया था, इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर- सम्पूर्ण साक्ष्य पंचायतनामे से संबंधित है। कुछ नहीं कहना।

प्रश्न 18- यह कि आपने पी०डब्लू० 9 साक्षी S.I जितेन्द्र कुमार के बयान सुने जिन्होंने अपने साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि मैं दिनांक 24.08.2020 को थाना खुर्जा नगर में बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। उस दिन प्रभारी निरीक्षक खुर्जा नगर को CUG नम्बर पर सूचना प्राप्त हुई कि मो० पंजाबियान में चंचल पत्नी कुंवरजीत की मृत्यु हो गई है। मुझे इस सूचना के बाद थाना कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई और सूचना पर मैं व महिला आरक्षी नीलम व कां० सुनील कुमार के साथ मय सम्बन्धित कागजात व जिल्द पंचायतनामा के थाना से रवाना होकर घटनास्थल पर पहुंचा। वहां पर पहले से ही तहसीलदार नीरज द्विवेदी व बहुत सारी भीड़ मौजूद थी और मृतका के परिवार के लोग व रिश्तेदार विलाप कर रहे थे और मृतका की बॉडी कमरे के अन्दर एक बेड़ पर रखी थी। भीड़ में से तहसीलदार साहब ने पंचान नियुक्त कर शव को बेड से जमीन पर रखवाकर लोकलाज का ध्यान रखते हुए महिला आरक्षी की मदद से तहसीलदार साहब के निर्देशन में उनके द्वारा बोलने पर पंचायतनामा की कार्यवाही मेरे द्वारा लिखी गई। पंचान के नाम पंचायतनामे में अंकित किए गए थे। शव की स्थिति का विवरण पंचायतनामे में मेरे द्वारा अंकित किया गया था। शव का हुलिया व कपड़े का विवरण मेरे द्वारा अंकित किया था। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर- यह बात सही है कि मृतका चंचल की बॉडी पहले से बरामदे में रखी थी। जो कि लोगों द्वारा पंखे से उतार ली गई थी। घर पर अभियुक्तगण मौजूद नहीं थे।

प्रश्न 19- साक्षी पी०डब्लू० 9 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि शव की सम्पत्ति का विवरण मेरे द्वारा पंचायतनामे में तहसीलदार साहब के बोलने पर अंकित किया गया था। शव को महिला कां० के द्वारा उलट पलट करने पर देखा गया तो शव के गले पर रस्सी का निशान था। इसके अलावा शव पर कोई जाहिरा चोंट दिखाई नहीं दे रही थी। पंचायतनामे की कार्यवाही के दौरान पंचान से उनकी राय पूंछी गई तो पंचान ने बताया कि चंचल की मृत्यु गले में फांसी का फन्दा डालकर पंखे पर लटकाने के कारण हुई है। फिर भी सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाना आवश्यक है। पंचान ने अपनी राय के नीचे अपने हस्ताक्षर किए थे। तहसीलदार साहब ने भी अपने हस्तलेख में अपनी राय पंचायतनामे पर अंकित की थी और अपने हस्ताक्षर मेरे सामने किए थे। साक्षी ने पंचायतनामा पेपर सं० 8A/2 लगायत 8A/3 पर राय तहसीलदार के नीचे तहसीलदार साहब के हस्ताक्षर की शिनाख्त की। शव को मौके पर ही एक कपड़े में रखकर सील सर्वे मोहर कर पोस्टमार्टम कराने कां० सुनील कुमार व महिला कां० नीलम को सुपुर्द कर दिया था और हिदायत दी थी कि पोस्टमार्टम कराने के बाद उसके परिणाम से अवगत कराएं। पंचायतनामा मेरे हस्तलेख में है, इस पर मेरे हस्ताक्षर बने हैं। पंचायतनामा पेपर सं० 8A/2 लगायत 8A/4 पर मौजूद है, जो मेरे द्वारा अपने हस्तलेख में तैयार किया गया था। इस पंचायतनामा पर पूर्व में **प्रदर्श क–5** डाला जा चुका है व चिट्ठी सी.एम.ओ., नमूना सील, चालान नाश, फोटोनाश आदि ये सभी प्रपत्र मेरे द्वारा अपने हस्तलेख में तैयार किए गए थे। जिस पर तहसीलदार के हस्ताक्षर मौजूद हैं। इन सभी प्रपत्रों पर पूर्व में प्रदर्श डाले जा चुके हैं। मेरा बयान विवेचक द्वारा लिया गया था। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर- **पी०डब्लू० 9 के साक्ष्य में स्पष्ट है कि गले में रस्सी का निशान था। जो कि मृतका ने कमरे में बेड के ऊपर पंखे से लटककर स्वयं आत्महत्या की थी। अभियुक्तगण ने मृतका के साथ ना तो मारपीट की थी ना ही हत्या की थी।**

प्रश्न 20- साक्षी पी०डब्लू० 9 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि दिनांक 27.08.2020 को मैं अपने हमराही साथी कां० सुनील कुमार व PRD प्रताप सिंह चौहान के साथ रवाना होकर थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था गश्त, चेकिंग करता हुआ सुभाष रोड़ मोहल्ला खीरखानी पहुंचा तो मुखबिर खास ने सूचना दी कि कुंवरजीत कहीं जाने की फिराक में नेहरूपुर चुंगी पर खड़ा है। मुखबिर खास को साथ लेकर मैं हमराही साथियों के साथ नेहरूपुर चुंगी से कुछ पहले पहुंचा तो मुखबिर ने दूर से इशारा करके बताया कि जामुनी रंग की शर्ट व पैन्ट पहने जो खड़ा है, वही व्यक्ति है, बताकर मुखबिर वहां से चला गया। हमने घेर घोंटकर कुंरवजीत को नेहरूपुर चुंगी पर समय 12:25 बजे पर पकड़ लिया। जामातलाशी की गई तो कुंवरजीत से कोई अवैध वस्तु बरामद नहीं हुई। अभियुक्त को जुर्म से अवगत कराते हुए थाना पर लाकर दाखिल किया गया और विवेचक श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय को दूरभाष से गिरफ्तारी सूचना दी गई और मुझे अभियुक्त कुंवरजीत के घर पर गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए रवाना किया गया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर– साक्ष्य झूठा व मेन्यूपिलेटिड है। कुंवरजीत ने पुलिस को घर से उठाया था।

प्रश्न 21- साक्षी पी०डब्लू० 9 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि दिनांक 03.09.2020 को मैं शान्ति व्यवस्था हेतु महिला आरक्षी पूनम व कां० गौरव व अरविन्द के साथ थाना से रवाना होकर सुभाष रोड़ पर पहुंचा तो मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि आपके थाने पर पंजीकृत मुकदमे की वांछित अभियुक्ता प्रेमवती कहीं जाने की फिराक में है। नेहरूपुर चुंगी पर खड़ी है। इस सूचना पर विश्वास कर मुखबिर को साथ लेकर मैं अपने हमराही साथियों के साथ रवाना होकर नेहरूपुर चुंगी के पास पहुंचा तो दूर से ही मुखबिर ने इशारा करके बताया कि वह महिला जो हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहने खड़ी है, वही प्रेमवती है और मुखबिर वहां से चला गया। महिला कां० पूनम द्वारा दबिश देखर उस महिला को पकड़ा और महिला से नाम पता पूंछा तो उसने अपना नाम प्रेमवती बताया। प्रेमवती को उसके जुर्म से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में समय 11:25 बजे पर लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना विवेचक क्षेत्राधिकारी महोदय से दूरभाष के माध्यम से दी गई और मुझे अभियुक्ता की गिरफ्तारी की सूचना देने हेतु उसे मस्कन पर भेजा गया और मेरे द्वारा उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दे दी गई। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?
उत्तर- प्रेमवती करीब 70 वर्ष बुजुर्ग महिला थी, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है। नेहरूपुर चुंगी पर आने का सवाल ही नहीं उठता। घर से पुलिस ने उठाया था।

प्रश्न 22- पी०डब्लू० 9 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि मैने दिनांक 24.08.2020 को पंचायतनामे की समस्त कार्यवाही तहसीलदार नीरज द्विवेदी खुर्जा के निर्देशन व बोलने पर की थी। पंचायतनामा की कार्यवाही के दौरान नमूना मोहर मेरे द्वारा तैयार की गई थी। जो कि पत्रावली पर पेपर सं० 8A/11 के रूप में है और मेरे हस्तलेख में है। इस पर **प्रदर्श क–12** डाला गया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?
उत्तर- सम्पूर्ण साक्ष्य पुलिस कार्यवाही से संबंधित है। कुछ नहीं कहना।

प्रश्न 23- यह कि आपने पी०डब्लू० 10 साक्षी C.O सुरेश कुमार के बयान सुने जिन्होंने अपने साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि मैं दिनांक 27.08.2020 को क्षेत्राधिकारी खुर्जा के रूप में तैनात था। यह मुकदमा थाना खुर्जा नगर में दिनांक 25.08.2020 को पंजीकृत हुआ था। मैं उस समय अवकाश पर था। 27.08.2025 को मैं अवकाश से वापस आया, तब मुझे यह विवेचना प्राप्त हुई थी। नकल चिक, नकल रपट मेरे कार्यालय से मुझे प्राप्त हुई थी, जिसका अवलोकन कर विवरण सी.डी. में अंकित किया गया था। उसके बाद थाना खुर्जा नगर जाकर FIR लेखकर अवधेश कुमार का बयान अंकित किया था, उसके बाद वादी से सम्पर्क किया तो उसने कहा मैं अभी अपने गांव सिन्द्राराऊ में हूं, अभी नहीं आ सकता। बाद में सम्पर्क कर लूंगा। इसी बीच अभियुक्त कुंवरजीत की गिरफ्तारी थाना खुर्जा नगर पुलिस द्वारा कर ली गई थी। थाना खुर्जा नगर में हवालात में बंद अभियुक्त कुंवरजीत के बयान अंकित किए। उसके बाद अभियुक्त कुंवरजीत का रिमाण्ड न्यायालय में स्वीकृत कराया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?
उत्तर- कुछ नहीं कहना।

प्रश्न 24- साक्षी पी०डब्लू० 10 साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि दिनांक 28.08.2020 को वादी आकाश व उसके साथ गवाहान, बिट्टो, गंगा देवी, सत्य प्रकाश, गुड़िया आदि मेरे कार्यालय उपस्थित आए, जिनके बयान मेरे द्वारा अंकित किए गए। उसके बाद बयान गवाह पंचान योगेन्द्र, जयपाल, सतीश कुमार, कालीचरन अंकित किए व मृतका की बहन वर्षा का बयान अंकित किया गया। उसके बाद वादी को साथ लेकर घटनास्थल मोहल्ला पंजाबियान पहुंचा और वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी मौके पर ही तैयार किया। साक्षी ने सत्र वाद संख्या 36/2023 में मौजूद कागज सं० 7A/1 जो कि हस्तलिखित नक्शा नजरी 837/2020 धारा 498A, 304B IPC व 3/4 दहेज अधिनियम थाना खुर्जा नगर के रूप में है, को देखकर कहा कि यही नक्शा–नजरी मेरे द्वारा तैयार की गई थी। यह मेरे हस्तलेख में है, इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है, इस पर **प्रदर्श क–10** डाला गया। घटनास्थल निरीक्षण के बाद अभियुक्तगण की तलाश की

गई थी, लेकिन अभियुक्तगण नहीं मिले, घर पर ताला लगा था। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर- साक्ष्य झूठा है। वादी ने घटनास्थल पर कोई नक्शा-नजरी नहीं बनवाया।

प्रश्न 25- साक्षी पी०डब्लू० 10 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि दिनांक 30.08.2020 को मृतका चंचल की PM रिपोर्ट व मूल पंचनामा प्राप्त हुआ था, जिसका अवलोकन कर सी.डी. में अंकित किया गया था। दिनांक 03.08.2020 को थाना खुर्जा नगर से अभियुक्ता प्रेमवती की गिरफ्तारी की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने के बाद थाना खुर्जा नगर पहुंचकर अभियुक्ता प्रेमवती का बयान C.D में अंकित किया गया तथा अभियुक्ता प्रेमवती को रिमांड मा० न्यायालय में पेश किया गया। दिनांक 06.09.2020 को तहसील कार्यालय खुर्जा में पहुंचकर तहसीलदार नीरज द्विवेदी जिन्होंने पंचायतनामे की कार्यवाही की थी, का बयान C.D में अंकित किया गया। उसके बाद मैं अपने कार्यालय आया तो वहां पर गवाह राजू (मृतका का पिता) आया हुआ था, जिसने शादी कार्ड व शादी में दिए सामान की लिस्ट उपलब्ध कराई थी, जिसे संलग्न सी.डी किया गया। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद का० सं० 10A जो कि मृतका चंचल व अभि० कुंरवजीत की शादी का कार्ड है, को देखकर कहा कि यही कार्ड मृतका चंचल के पिता राजू ने उपलब्ध कराया था। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद का०सं० 11A जो कि शादी में दिए सामान की सूची है, को देखकर कहा कि यही सूची मृतका के पिता राजू ने उपलब्ध कराई थी और इसे मेरे द्वारा संलग्न सी.डी किया गया। इसके बाद मैं थाने खुर्जा नगर पहुंचा तो वहां पर मौजूद S.I जितेन्द्र सिंह जिन्होंने तहसीलदार के निर्देशन में पंचायतनामा भरा था व PM कराने वाले कां० सुनील कुमार व महिला कां० नीलम के बयान CD में अंकित किए, इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर- साक्ष्य झूठा है। शादी के सामान की लिस्ट कच्ची है। G.S.T वाले कोई बिल पत्रावली पर नहीं है। कभी कोई दहेज नहीं मांगा और दहेज मांगने या मारपीट से संबंधित कोई प्रार्थना पत्र पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

प्रश्न 26- साक्षी पी०डब्लू० 10 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि दिनांक 16.09.2020 को थाने से फोर्स लेकर मैं मोहल्ला पंजाबियान खुर्जा में पहुंचा और अभियुक्तगण के मस्कन पर दबिश दी गई लेकिन कोई नहीं मिला। दिनांक 07.10.2020 को थाना खुर्जा नगर से अभियुक्त सुनील कुमार की गिरफ्तारी की सूचना प्राप्त हुई, सूचना प्राप्त होने के बाद मैं थाने पहुंचा तो वहां पर अभियुक्त सुनील कुमार मर्दाना हवालात में मौजूद था, वहीं पर अभियुक्त के बयान मेरे द्वारा सी.डी. में अंकित किए गए, तत्पश्चात् अभियुक्त को मा० न्यायालय में रिमाण्ड स्वीकृति हेतु भेजा गया। दिनांक 08.10.2020 को मेरे कार्यालय पर एक प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्राप्त हुआ था, जिनका अवलोकन कर विवरण सी.डी. में अंकित किया, वहीं पर शपथपत्र देने वाले देवेन्द्र, ओंकार, मेघराज मेरे कार्यालय उपस्थित आए, जिनके बयान मेरे द्वारा अंकित किए गए। इसके बाद मैं मोहल्ला पंजाबियान पहुंचा और घटना के सम्बन्ध में जानकारी की गई तो वहां पर बहुत से लोग इक्ट्ठा हो गए थे। उन लोगों से मैने बयान स्वतंत्र गवाह, भगवत प्रसाद, फारूख, नौशाद, आसिफ के बयान CD में अंकित किए गए। अब तक की विवेचना में गवाहों के बयान के आधार पर नामजद अभियुक्त लख्मीचन्द को तलाश किया गया तो वो वहीं मोहल्ला पंजाबियान में मिला, उसका बयान CD में अंकित किया गया। दिनांक 16.10.2020 को जानकारी करने पर PM करने वाले डा० अमित कुमार का CSC गुलावठी व दूसरे चिकित्सक Dr. Sk indu का SSMJ अस्पताल खुर्जा में होने की जानकारी प्राप्त हुई। गुलावठी पहुंचकर Dr. अमित कुमार व SSMJ अस्पताल पहुंचकर Dr. S.K Indu का बयान CD में अंकित किया गया। दिनांक 18.10.2022 को अब तक की विवेचना संकलित साक्ष्य, बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, मेडिकल, PM रिपोर्ट पंचायतनामा आदि के आधार पर अभियुक्त कुंवरजीत, सुनील व अभियुक्ता प्रेमवती के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 498A, 304B IPC व 3/4 D.P Act में आरोप पत्र सं० 651/2020 दिनांक 18.10.2020 को प्रेषित किया था। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद का०सं० 3A/1 लगायत 5 जो कि मु.अ.सं० 837/2020 के कम्प्यूटरीकृत आरोप पत्र के रूप में है, को देखकर कहा कि यही आरोपपत्र मेरे द्वारा प्रेषित किया गया है, इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है, इस आरोप पत्र पर **प्रदर्श क–11** डाला गया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर– कुछ नहीं कहना।

प्रश्न 27– यह कि आपने पी०डब्लू० 11 साक्षिया हेड कांस्टेबल 808 नीलम देवी के बयान सुने जिन्होंने अपने साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि मैं दिनांक 24.08.2020 को थाना खुर्जा नगर पर महिला कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थी। उस दिन मैं SI जितेन्द्र कुमार द्वारा मुझे व कां० सुनील कुमार को मो० बारादरी पंजाबियान खुर्जा नगर में बुलाया गया था। उनके द्वारा बताया गया था कि एक महिला दहेज हो गई है, जिसके पंचायतनामे की कार्यवाही के लिए बुलाया गया था। मृतका श्रीमती चंचल पत्नी कुंवरजीत निवासी मोहल्ला बारादरी पंजाबियान थाना खुर्जा नगर की थी। मृतका के शव को उलट–पलट कर देखा गया था। पंचायतनामा को उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार द्वारा तहसीलदार की उपस्थिति में भरा गया था। मृतका के शव को उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार द्वारा सील सर्वे मोहर कर वास्ते पोस्टमार्टम हेतु मुझे व कां० सुनील कुमार को सुपुर्द किया गया था। मृतका के कपड़ों की डॉक्टर द्वारा मुझे सुपुर्द किया गया था। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?
उत्तर– **कुछ नहीं कहना।**

प्रश्न 28– साक्षी पी०डब्लू० 11 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि मैने मृतका के कपड़ों को थाने में लाकर HM को सुपुर्द कर दिया था। न्यायालय के समक्ष एक सीलबन्द पुलिन्दा फटी हुई व गली हुई अवस्था में है, जिस पर कुंवरजीत लिखा है व नीचे पंजाबियान लिखा है व अन्य प्रविष्टि अपठनीय है। पुलिन्दा को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वहीं कपड़े हैं, उसे न्यायालय की अनुमति से खोला गया। इसे पहचान कर बताया कि यह वहीं कपड़े, जो मृतका ने पंचायतनामे के समय पहने हुए थे व डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम के उपरान्त मुझे उपलब्ध कराए थे। मृतका ने जो कपड़े पहने थे, उसमें हरे कलर का सूट व गुलाबी कलर की सलवार था। सूट के गले पर सफेद लाल व पीले फूल के डिजाइन बने थे। सलवार गुलाबी व काले रंक का ब्रा, इन पर सामूहिक रूप से **वस्तु प्रदर्श क–1** डाला गया। मृतका ने दो बिछुए, बाएं हाथ की बीच की उंगली में, पीली घातु की अंगूठी और दाएं हाथ की बीच की उंगुली में पीली धातु का छल्ला व दोनों हाथ में कांच की काले व लाल और हरे रंग की चूंड़ियां पहनी थी। दोनों कानों में एक–एक पीली धातु का कुण्डल पहने थी और नाक में पीले धातु की नोज रिंग पहने थे और दोनों पैरों में सफेद धातु की पाजेब पहने हए थी। मृतका ने पंचायतनामा के समय यह सभी वस्तुएं पहने हुए थी। जो डॉक्टर द्वारा मुझे उपलब्ध कराया गया था। इन सभी पर सामूहिक रूप से **वस्तु प्रदर्श क–2** डाला गया। मेरा दरोगा जी ने पूंछताछ कर बयान लिए थे। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर- **कुछ नहीं कहना।**

प्रश्न 29- आपके विरूद्ध मुकदमा क्यों चला ?
उत्तर- मृतका चंचल बच्चे पैदा ना होने के कारण डिप्रेशन में रहती थी। जिस कारण उसने आत्महत्या कर ली। मुकदमा झूठा लिखाया गया।

प्रश्न 30- क्या सफाई साक्ष्य देना है ?
उत्तर- हां सफाई साक्ष्य में गवाह देने हैं।

प्रश्न 31- क्या आपको कुछ और कहना है ?
उत्तर- अभियुक्तगण को उक्त दहेज हत्या के मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। ताकि मोटी रकम वसूली जा सके। एक बार फैसले में वादी और उसके परिवारजनों ने अभियुक्तगण के परिवारजनों से बारह लाख रूपये मांगे थे, जो नहीं दे सके। मुकदमा झूठा लिखाया गया है।

सुनकर तसदीक किया।

दिनांक: 04.05.2026

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा (बुलन्दशहर)

कुलदीप- आशुलिपिक

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा जिला बुलन्दशहर।
सत्र वाद संख्या : 36/2023
सरकार बनाम कुमरजीत आदि।

<u>बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं०</u>

नाम- सुनील पिता का नाम- धन्नी उम्र- 31 पेशा- मजदूरी
निवासी- मौ० पंजाबियान थाना- खुर्जा नगर
जिला- बुलन्दशहर।

प्रश्न 1- यह कि अभियोजन कथानक के अनुसार वर्ष 2014 से दिनांक 24.08.2020 के मध्य विभिन्न समय में आपने वादी मुकदमा आकाश की बहन चंचल को अतिरिक्त दहेज के रूप में एक बाईक व 50 से 60 हजार रूपये की मांग की गयी तथा उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?
उत्तर- अभियोजन कथानक झूंठा है। अभियुक्त ने कभी भी चंचल से अतिरिक्त दहेज में बाईक या 50-60 हजार रूपये की मांग नहीं की और ना ही शारीरिक व मानसिक प्रताड़ित किया।

प्रश्न 2- यह कि अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 24.08.2020 को समय करीब 15:00 बजे, घटनास्थल मो० पंजाबियान, थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर में आपने वादी मुकदमा की बहन चंचल से अतिरिक्त दहेज में एक बाईक व 50 से 60 हजार रूपये की मांग को लेकर चंचल को मारापीटा गया, जिससे विवाह के 7 वर्ष के अन्दर उसकी मृत्यु कारित की गयी। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?
उत्तर- अभियुक्त ने चंचल के साथ कोई मारपीट नहीं की। अभियुक्त घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, सुबह को ठैली लगाने बाहर चला गया था।

प्रश्न 3- यह कि आपने पी०डब्लू० 1 साक्षी आकाश कुमार के बयान सुने जिन्होंने अपने साक्ष्य में सशपथ कथन किया गया है कि मेरी बहन चंचल की शादी दिनांक 03.12.2014 को कुंवरजीत के साथ हुई थी। कुंवरजीत पुत्र धन्नी मौहल्ला पंजाबियान बारादरी खुर्जा के रहने वाले हैं। मेरी बहन का पति कुंवरजीत व देवर सुनील मेरी बहन चंचल से अतिरिक्त दहेज में नकद पैसों की मांग करते थे और कहते थे कि अपने मायके से रूपये लाकर दो। मेरी बहन जब भी मायके आती थी तभी अपने पति कुंवरजीत व देवर सुनील के द्वारा अतिरिक्त दहेज में नकद रूपये मांगने के बारे में बताती थी। दो–तीन बार चंचल ने यह भी बताया था कि मेरा पति पैसे लाने की मांग को लेकर मुझे प्रताड़ित करता है और आये दिन मेरे साथ मारपीट करता है तथा मुझे जान से मारने की धमकी देता है। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है?
उत्तर- पी०डब्लू० 1 आकाश का साक्ष्य बिल्कुल मनगंढ़त व झूठा है। यदि अभियुक्त कुंवरजीत या देवर सुनील के द्वारा अतिरिक्त दहेज के लिए कोई मारपीट या मांग की जाती तो पी०डब्लू० 1 या इसके परिवारजनों द्वारा थाने पर कोई शिकायत अवश्य होती।

प्रश्न 4- साक्षी पी०डब्लू० 1 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि दिनांक 24.08.2020 को अभियुक्त सुनील (देवर) ने हमारे घर वाले फोन करीब 03 बजे दिन में फोन करके बताया था कि चंचल को हार्ट अटैक आया है। हमने उनसे कहा कि आप चंचल को हॉस्पिटल लेकर चलो, हम भी आ रहे हैं। फिर 15–20 मिनट बाद दोबारा चंचल की ससुराल से फोन आया था। फोन करने वाले ने बताया था कि चंचल की मृत्यु हो गई है। फोन करने वाले ने बताया था कि चंचल की मृत्यु फांसी लगाने से हुई थी। आशंका होने पर मैने सौ नम्बर पर पुलिस को फोन किया था। मुझे यह आशंका हुई थी कि मुल्जिमान कुंवरजीत व सुनील ने चंचल की हत्या कर दी है। फिर हम तुरन्त अपने घर से चंचल की ससुराल के लिये चल दिये थे। जब हम चंचल की ससुराल पहुंचे तो मेरी बहन चंचल की लाश बेड पर फ्रीज के गत्ते पर पड़ी हुई थी। चंचल की नाक व सिर में से खून निकल रहा था। जब लॉकडॉउन के समय मार्च 2020 में मेरा एक्सीडेन्ट हुआ था, तब चंचल हमारे यहां आई हुई थी। चंचल ने मम्मी को बताया था कि कुंवरजीत व सुनील मेरे साथ मारपीट करते हैं। उसके बाद वह

अपनी ससुराल चली गई थी। ससुराल पहुंचने के बाद चंचल ने हमें कुछ नहीं बताया था। इस घटना की तहरीर मैने थाना खुर्जा नगर पर स्वयं लिखकर दी थी, जो पत्रावली कागज संख्या 4A/3 व 4A/4 मेरे सामने मौजूद है। इस पर मेरे हस्ताक्षर है। इस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया।इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर- PW-01 आकाश का साक्ष्य झूठा है। सुनील ने हार्ट अटैक की कोई बात फोन पर नहीं की थी, क्योंकि चंचल ने स्वयं फांसी लगायी थी और वह खत्म हो चुकी थी। उसका शव भी बरामदे में था, ना कि बेड पर। कुंरवजीत व सुनील ने कभी कोई मारपीट नहीं की थी। घटना से पहले मारपीट की कोई शिकायत नहीं थी।

प्रश्न 5- यह कि आपने पी०डब्लू० 2 साक्षिया श्रीमती विट्टो के बयान सुने जिन्होंने अपने साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि मृतक चंचल मेरी बेटी थी। चंचल की शादी कुंवरजीत के साथ दिनांक 03.12.2014 में की थी। मेरी बेटी चंचल को शादी के बाद से लोग ठीक ठाक नहीं रखते थे। कुंवरजीत व उसके परिवार वाले प्रेमवती, देवर सुनील, लखमीचन्द मामा ने हमसे शादी में बाईक की मांग की थी। हम बाईक नहीं दे पाये थे तो इन्होंने हमसे साठ–सत्तर हजार रूपये की मांग की थी। इसी बात को लेकर ये लोग चंचल को परेशान करते थे। परेशान करने वाली बात मेरी बेटी चंचल ने बतायी थी। एक बार दिवाली पर भईया दौज पर चंचल हमारे पास आयी थी, तब उसने मुझसे इन लोगों की दहेज वाली शिकायत मुझसे की थी। तब हमने चंचल को भेजी नहीं था। मैने इस शिकायत को सुनने के बाद मैने कुछ पैसे की मदद बीच–बीच में अपनी बेटी की मदद की थी। इसके बाद इन लोगों की पैसे मांगने की हबस और बढ़ गयी थी। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर- PW-02 बिट्टो का सम्पूर्ण साक्ष्य झूठा है। कुंरवजीत, परिवार वाले प्रेमवती, देवर सुनील व लख्मीचन्द मामा ने कभी भी ना तो बाईक की मांग की थी और ना ही रूपये मांगे थे। चंचल लगातार ससुराल में रही थी और खुश थी।

प्रश्न 6- साक्षी पी०डब्लू० 2 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि घटना 24 अगस्त 2020 की है। चंचल के देवर सुनील ने हमारे पास दूसरी मेरी बेटी वर्षा के फोन पर फोन किया था। उस समय दोपहर का समय था तो सुनील ने बताया था कि चंचल भाभी को अटैक आया है। हमने सुनील को कहा कि चंचल को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, हम आ रहे है। फिर सुनील का दोबारा फोन थोड़ी देर बाद आया कि चंचल भाभी ने फांसी लगा ली है और वह खत्म हो गयी है। हमको शंका हुई तो मैने अपने बेटे आकाश को बताया तो मेरे बेटे आकाश ने तुरन्त ही 100 नम्बर पर फोन कर दिया। फिर हम दिल्ली अपने घर से चंचल की ससुराल आये तो हमको चंचल के घर पुलिस मौजूद मिली। मैने चंचल को बेड पर पड़े हुये देखा। बेड पर हमारा दिया हुआ गद्दा भी नहीं था और सिर के नीचे गत्ते वाला कार्टून लगा रखा था और चंचल के कान व नाक से खून निकल रहा था। फिर इस घटना की रिपोर्ट मेरे बेटे आकाश ने थाने में लिखवायी थी। ये सब बातें जो आज में न्यायालय में बता रही थी, पुलिस वालों को बयान लेते वक्त बता दी थी। चंचल के मरने से पांच दिन पहले चंचल के साथ इन लोगों ने मारपीट की थी, उसके अगले दिन चंचल ने मुझे फोन करके बतायी थी। मुझे फोन करके बतायी थी कि मुझे यहां से ले जाओ, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। मैने चंचल से कहा था कि बेटा अभी लॉकडाउन लगा है, मरीज बढ़ रहे हैं, सही समय आने पर तुझे हम ले आयेंगे। बारह मार्च 2020 को मेरे बेटे आकाश का एक्सीडेन्ट हुआ था तो चंचल उसे देखने अस्पताल में आयी थी, तब भी उसने मुझे मारपीट करने वाली बात, दहेज मांगने वाली बात व जान से मारने की बातें बतायी थी। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर-PW-02 बिट्टो का सम्पूर्ण कथानक झूठा है। सुनील ने कभी भी हार्ट अटैक आने की बात फोन पर नहीं की थी। चंचल के साथ मारपीट की शिकायत ना तो दिल्ली में और ना ही खुर्जा में PW-02 ने ना ही PW-01 ने की थी। लॉकडाऊन में चंचल, कुंरवजीत के साथ ही दिल्ली गई थी।

प्रश्न 7- यह कि आपने पी०डब्लू० 3 साक्षिया वर्षा के बयान सुने जिसने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि मृतका चंचल मेरी बहन थी। मेरी बहन की शादी कुंवरजीत के साथ 03.12.2014 को हुयी थी। मेरी बहन चंचल को शादी के बाद से ही उसकी सास प्रेमवती, मामा लख्मीचन्द, पति कुंवरजीत, देवर सुनील ठीक ठाक नहीं रखते थे और प्रताड़ित करते थे और बाईक एवं पैसे आदि की मांग करते थे। मेरी बहन चंचल से मेरी बात हुयी थी तो एक–दो बार उन्होंने मुझे दहेज मांगने वाली

बात बतायी थी। मैने अपनी बहन को समझाया था और मेरी मम्मी ने भी छुपकर एक दो बार पैसे दिये थे। मेरी मम्मी ने उसकी ससुराल वालों को भी समझाया था। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?
उत्तर- पी०डब्लू० 3 वर्षा का साक्ष्य झूठा है। कुंवरजीत, सुनील, प्रेमवती या मामा लख्मी ने कभी ना तो बाईक मांगी और ना ही कभी पैसे मांगे। मामा लखमी फरीदाबाद हरियाणा में रहते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है।

प्रश्न 8- साक्षी पी०डब्लू० 3 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि दिनांक 24.08.2020 को उनकी डेथ हुई थी तो चार बजे के आस पास मेरे पास उसके देवर सुनील का फोन आया था कि चंचल की तबियत खराब हो गयी है तो हमने कहा कि उनको अस्पताल लेकर जाओ। हम आ रहे है। थोड़ी देर बाद ही हमको पता चला कि उनको हार्ट अटैल की दिक्कत हुई। यह बात भी हमको सुनील ने ही बतायी थी। तब हमारी बात फोन पर हो रही थी,तब उन्होंने ही बताया कि तुम्हारी बहन ने फांसी लगा ली है। यह सब बातें मैने अपनी मम्मी को बतायी। मेरी मम्मी ने यह बातें आकाश को बतायी और आकाश ने पुलिस पर कॉल की थी और फिर हम सब लोग वहां से निकलकर खुर्जा आ गये। जब हम खुर्जा चंचल की ससुराल आये तो हमने देखा कि चंचल बिना गद्दे के बेड पर पड़ी थी और चोंट लगी थी। उसकी नाक से खून निकल रहा था। एक कार्टून बेड पर रखा था। मेरी बहन चंचल के ससुराल वाले पति कुंरवजीत, देवर सुनील, सास प्रेमवती और उसके ममिया ससुर लख्मीचन्द ने दहेज ना मिलने की वजह से मेरी बहन चंचल की हत्या की थी। मेरा पुलिस वालों ने ब्यान लिया था। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?
उत्तर– पी०डब्लू० 3 का साक्ष्य झूठा है। सुनील की कोई बात पी०डब्लू० 3 से नहीं हुई थी ना ही हार्ट अटैक के बारें में बताया था। कुंवरजीत, देवर सुनील, सास प्रेमवती व ममिया ससुर लख्मीचन्द ने कभी दहेज नहीं मांगा और ना ही हत्या की।

प्रश्न 9- यह कि आपने पी०डब्लू० 4 साक्षी राजू के बयान सुने जिसने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया कि इस मुकदमे की मृतका चंचल मेरी बेटी थी। मैने अपनी बेटी चंचल की शादी कुंवरजीत के साथ दिनांक 03.12.2014 को की थी। घटना दिनांक 24.08. 2020 की है, उस दिन चंचल के देवर सुनील का फोन मेरी बेटी वर्षा के फोन आया था। उन्होंने कहा कि चंचल को अटैक आ गया है, कुछ देर बाद दोबारा फोन समय करीब 3:10 बजे, पहले आये फोन के करीब 10 मिनट बाद आया था और बताया था कि तुम्हारी बेटी चंचल मर गयी है। पहली बार जब फोन हमारे पास बेटी पर आया था तब हमने कहा कि चंचल को अस्पताल लेकर चलो हम आ रहे है। मेरे बच्चों ने फिर मेरे लड़के आकाश पर फोन किया था, फिर लड़के आकाश को घटना बतायी थी। घटना सुनकर आकाश ने पुलिस को 100 नम्बर पर फोन किया। फिर हम लोग सभी परिवार चार बजे के करीब दिल्ली से खुर्जा के लिये चले थे। जब हम घर पर खुर्जा आये तो चारो तरफ पुलिस ही पुलिस मौजूद थी। हमारी बेटी कमरे में बेड पर पड़ी थी, उसके नीचे गद्दा भी नहीं था। मेरी बेटी चंचल की नाक व मुंह से खून निकल रहा था। उसके बाद हम लड़की चंचल को पुलिस की गाड़ी में डालकर अस्पताल को लेकर गये थे। फिर वहां से लड़की को पोस्टमार्टम के लिये लेकर गये थे। लड़की का पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार अपने गांव टटी डंडिया त० सिकन्द्राराऊ में किया था। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर- सुनील ने फोन पर आत्महत्या करने वाली बात बताई थी। किसी अटैक के बारें में नहीं बताया था। बयानों में विरोधाभास है। चंचल की बॉडी बेड पर नहीं थी, बल्कि बरामदे में फर्श पर थी। साक्ष्य झूठा है।

प्रश्न 10- साक्षी पी०डब्लू० 4 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि इस घटना की रिपोर्ट मेरे लड़के आकाश ने लिखवायी थी। खुर्जा आने के बाद हमने चंचल के बारे में पता किया था तो किसी ने कुछ नहीं बताया था। इन लोगों ने बोला था कि चंचल ने फांसी लगायी है। प्रेमवती, सुनील, कुंवरजीत, लख्मीचन्द ने चंचल द्वारा फांसी लगाने वाली बात बतायी थी। शादी के होने बाद चंचल के साथ दो–चार बार मारपीट की थी। लखमीचन्द ने बाईक व पचास साठ हजार रूपये की मांग करी थी। लखमीचन्द मेरी लड़की का ममिया ससुर है। कुंवरजीत ने भी मेरी बेटी चंचल के साथ दो–चार बार मारपीट की थी। इस वजह से मेरी पत्नी ने मुझसे छिपाकर एक दो बार कुंवरजीत को रूपये दिये थे। चंचल के मरने के चार पांच दिन पहले कुंरवजीत ने घर पर मारपीट करी थी और उसे

जान से मारने की धमकी भी दी थी। यह बात मेरे बच्चों ने मुझे बतायी थी। एक दो बार चंचल ने मुझे भी यह बात बतायी थी। चंचल ने फोन पर बताया था कि मुझे मारने की धमकी दे रहे, मुझे लेकर चले जाओ। तो मैने कहा था कि लॉकडाऊन का समय चल रहा है, कुछ दिन रूक जाओ, फिर तुमको बुला लेंगे। चंचल मरने पर पहले हमारे घर जब आकाश का 12 मार्च 2020 को एक्सीडेन्ट हुआ तभी आयी थी। उसके बाद कुंरवजीत हमारे यहां दिल्ली से अपने साथ ले गया थे। फिर जाने के बाद उसको परेशान किया और उसके साथ मारपीट की थी। पुलिस ने हमारा बयान लिया था। सारी बात पुलिस को मैने बता दी थी। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर- चंचल की शादी के बाद व घटना से पहले कभी भी पति कुंवरजीत , देवर सुनील, सास प्रेमवती व ममिया ससुर लख्मी ने ना तो मोटरसाईकिल मांगी थी ना ही मारपीट की थी। चंचल के मायके वालों ने कभी कोई मारपीट या दहेज मांगने वाली या प्रताड़ित करने वाली शिकायत किसी थाने में नहीं की थी। यदि कुंवरजीत या अन्य ससुरालीजनों द्वारा चचंल के साथ मारपीट की जाती या दहेज मांगा जाता तो कोरोना में कुंवरजीत चंचल को लेकर अपनी ससुराल दिल्ली आकाश को कभी देखने नहीं जाता, वहां रूका भी था। साक्ष्य झूठा व मनगढ़ंत है।

प्रश्न 11- आपने पी०डब्लू० 5 साक्षिया गंगा देवी के बयान सुने जिसने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया कि मैं अनपढ़ हूं, पढ़ी–लिखी नहीं हूं। मैं हस्ताक्षर नहीं करती हूं, अंगूठा लगाती हूं। चंचल मेरी बहन की लड़की लगती थी, चंचल की शादी कुंवरजीत के साथ मैने करायी थी, शादी के बाद चंचल अपनी ससुराल में अपने पति कुंवरजीत के साथ रहती थी। शादी के बाद चंचल को सुनील, प्रेमवती, लखमी, कुंवरजीत परेशान करते थे। ये लोग मोटरसाईकिल और दान–दहेज में पैसा मांगते थे। मेरी बहन बिट्टो ने इन लोगों को पैसे दिए भी थे। यह सभी बातें मुझे मेरी बहन की लड़की चंचल ने बताई थी। जब मैं चंचल के घर पर गई थी, तब ये बातें बतायी थी और फोन पर भी बतायी थी। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर- पी०डब्लू० 5 गंगा देवी का साक्ष्य झूठा है। कुंवरजीत या उसके परिवारजनों ने चंचल से कभी कोई मोटरसाईकिल या दान दहेज की मांग नहीं की थी। लख्मी दूर का रिश्तेदार ममिया ससुर है, जो कि परिवार सहित फरीदाबाद में रहता है। कभी कोई पैसे बिट्टो ने कुंवरजीत को नहीं दिए।

प्रश्न 12- साक्षी पी०डब्लू० 5 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कहा गया है कि घटना की दिनांक 24 तारीख सावन का महीना सन् 20 है। मुझे 4 बजे मुझे मेरी भाभी गुड़िया ने फोन पर मुझे सूचना दी थी कि चंचल को मार दिया है। मैने पूछा कैसे मार दिया है, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बता सकती पर मार दिया है। सूचना मिलने के बाद हम उसी दिन रात को आठ बजे चंचल की ससुराल आए थे, चंचल नहीं मिली थी। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, फिर हम पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। फिर हम पोस्टमार्टम होने के बाद चंचल की मिट्टी को अपनी बहन के साथ तटी डंडिया ले गए थे और वहीं पर चंचल का दाह संस्कार कर दिया था। चंचल के बताने के बाद मैने कुंरवजीत व इनकी मां प्रेमवती को समझाया था, लेकिन वो नहीं माने थे। मेरा पुलिस ने बयान लिया था और मैने पुलिस को सब बातें बता दी थी, जो मुझे पता थी। मुझे पता चला था कि इन्हीं लोगों ने चंचल को मार दिया था और भाग गए थे। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर- पी०डब्लू० 5 का सम्पूर्ण साक्ष्य झूठा है।

प्रश्न 13- आपने पी०डब्लू० 6 साक्षी H.C अवधेश कुमार (680) हाल तैनाती पुलिस कार्यालय बुलन्दशहर के बयान सुने जिसने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 24.08.2020 को मैं बतौर का० क्लर्क थाना खुर्जा नगर में तैनात था, उस दिन मेरी ड्यूटी कार्यलेख पद पर रात 08 बजे से अगले दिन सुबह 08 बजे तक थी। उस दिन वादी मुकदमा आकाश पुत्र राजू निवासी सुभाष विहार भजनपुरा दिल्ली की लिखित तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 837/2020 अन्तर्गत धारा 498A, 304B IPC व 3/4 D.P Act बनाम कुंरवजीत आदि 4 नफर की चिक एफ.आई.आर. ऑपरेटर सहदेव उपाध्याय से अंकित करायी थी। पत्रावली पर मौजूद का०सं० 4A/1 लगायत 4A/2 को देखकर साक्षी ने कहा कि वह वही FIR चिक है जो मेरे द्वारा बोल–बोलकर कम्प्यूटर ऑपरेटर सहदेव उपाध्याय से लिखाई गई थी, जिस पर थाने की मोहर और वरिष्ठ उपनिरीक्षक के हस्ताक्षर है। चिक FIR पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। इस मुकदमे का खुलासा मेरे द्वारा थाने की ऑन लाइन जी.डी में GD नं०–4 समय 01:24 बजे दिनांक 25.08.2020 को किया। पत्रावली पर मौजूद

का०सं० 17B/11 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही G.D है, जो थाने की ऑनलाईन G.D. सं० 4 है, जो मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर टाईप की गई थी, इस पर थाने की मोहर है, इसे आज मैं अपने हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित करता हूं। G.D सं० 4 समय 01:24 बजे दिनांकित 25.08.2020 जो का०सं० 17B/11 के रूप में है इस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर- पी०डब्लू० 6 का साक्ष्य आंशिक रूप से झूठा है।

प्रश्न 14- यह कि आपने पी०डब्लू० 7 साक्षी डॉक्टर अमित कुमार सिंह के बयान सुने जिन्होंने अपने साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 25.08.2020 को मेरी तैनाती जिला चिकित्सालय बुलन्दशहर में पोस्टमार्टम हाउस पर थी। उस दिन थाना खुर्जा नगर से का० नीलम व का० सुनील कुमार मृतका चंचल पत्नी कुंरवजीत निवासी मौ० बारादरी पंजाबियान थाना खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर जिसकी उम्र करीब 26 वर्ष के आस–पास थी के शव को पोस्टमार्टम कराने हेतु हमारे पैनल के पास लेकर आए थे। पैनल में मेरे साथ सहयोगी के रूप में डॉक्टर एस०के० इन्दू जिनकी मूल तैनाती SSMJ खुर्जा बुलन्दशहर पर भी थी। पैनल की परगना तहसीलदार खुर्जा नीरज द्विवेदी ने की थी, जिस पर पैनल गठित हुआ था। शव हमारे द्वारा दिनांक 25.08.2020 को समय 1:30 PM पर प्राप्त किया गया था। मृतका के शव का पोस्टमार्टम हमारे द्वारा उसी दिनांक को समय 02:30 P.M पर आरम्भ किया गया था। मृतका चंचल के शव की शिनाख्त साथ आए पुलिसकर्मी द्वारा की गयी थी और शव के साथ कुल ग्यारह अन्वेषण प्रपत्र प्राप्त हुये थे। शव की ऊंचाई लगभग 4 फिट 10 इंच के आस पास थी। शव की मृत्यु के पश्चात् की अकड़न पूरे शरीर पर मौजूद थी। शव विच्छेदन के समय शव के आंख व मुंह बन्द थे और चेहरा कन्जेस्टेड़ था और शव के दोनों नाक के नथुनों में रूका हुआ सूखा ब्लड़ जमा था। शव के शरीर पर निम्न एन्टीमॉर्टम इन्जरी मौजूद थी। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर- पोस्टमार्टम हुआ था, यह बात सही है। लेकिन अभियुक्तगण द्वारा चंचल की हत्या नहीं की गई थी। बल्कि उसने पंखे से लटककर आत्महत्या की थी।

प्रश्न 15- साक्षी पी०डब्लू० 7 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि शव के शरीर पर निम्न एन्टीमॉर्टम इन्जरी मौजूद थी–

चोट नं०–1 एक लिगेचर मार्क जिसका साईज 34 से०मी० x 2.50 से०मी० गर्दन के चारों तरफ होरीजेन्टल स्थान पर था। यह लिगेचर मार्क दाहिने कान से 6 से०मी० नीचे व बायें कान से 5 cm नीचे था। जब इस लिगेचर मार्क के नीचे जब गर्दन को खोला गया तो शव कुरेनियस टिशू फाउन्ड एकोमोसाईड एन्ड Hyoid Bone फ्रेक्चर्ड पायी गई।

चोट नं०- 2 कंट्यूजड स्वैलिंग जिसका 4 cm x 2 सेमी जो सिर के दाहिने तरफ दाहिने कान से 5 cm ऊपर था। जब इसे खोला गया तो इसके नीचे की हड्डी फ्रैक्चर पाई गई और ब्रेन मैम्बरेन लैसिरेटेड़ पाई गई और इसकी क्रैनियल कैविटी में लगभग 50 ML ब्लड मौजूद मिला। आन्तरिक परीक्षण में मस्तिष्क नोटिड़ (Noted) है व नैक नोटिड है। छाती में दाहिनी व बांयां फेफड़ा कन्जेस्टेड़ है। आमाश्य में 200 ML अधपका खाना मौजूद था तथा लीवन कन्जेस्टेड़ व गॉल ब्लेडर आधे भरे थे। प्लीहा कन्जेस्टेड़ था और दोनों दायीं-बायीं किड़नियां कन्जेस्टेड़ थी व शव की बच्चादानी में कोई भ्रूड नहीं था। मृतका चंचल की मृत्यु का सम्भावित समय दिन के 3/4 भाग के बराबर था और मृत्यु का तात्कालिक कारण एन्टीमॉर्टम इन्जरी व स्ट्रैंगुलेशन और मृत्यु की वजह सांस घुटना और स्ट्रैंगुलेशन थी। ये सभी चोटें मृत्यु पूर्व की थी। मेरी राय में ऐसा हो सकता है कि मृतका के सिर पर पहले चोंट मारी गई हो और उसका गला घोंटकर मृत्यु कारित की गई हो। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि मृतका के सिर की हड्डी खोलने पर फ्रैक्चर्ड मिली थी। इस पोस्टमार्टम की वीड़ियोग्राफी फील्ड यूनिट से आये कां० मुकुल राज के द्वारा की गई थी। वीड़ियोग्राफी पर एन्क्लोजर नं-9 पड़ा था। मृतका चंचल की यह चोंटे हमारे द्वारा बनाए गए डायग्राम पर भी दर्शायी गयी हैं। यह पोस्टमार्टम मेरे द्वारा दिनांक 25.08.2020 को समय 3:20 PM पर समाप्त किया गया था। हमारे द्वारा कुल 12 अन्वेषण प्रपत्र साईन किए गए थे। इस पोस्टमार्टम की 1+2 प्रतियां अन्वेषण पत्र शव वस्त्र, पांच सीलबन्द लिफाफों में साथ आयी महिला कां० नीलम को सुपुर्द किए गए थे। पोस्टमार्टम पूर्ण होने के पश्चात् मैने व मेरे साथी डॉक्टर एक०के०इन्दू ने इसपर अपने हस्ताक्षर किए थे। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद

का० सं० 9A/1 लगायत 9A/3 जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नं० 683/2020 जो कि मृतका चंचल की है, को देखकर कहा कि यह PM रिपोर्ट मेरे द्वारा अपने हस्तलेख में तैयार की गई थी। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क-4** डाला गय। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर- उक्त सभी चोंटे चंचल को लोगों द्वारा पंखे से उतारने पर आयीं होंगी। क्योंकि पुलिस के आने से पहले मौजूद लोगों ने चंचल द्वारा आत्महत्या करने के बाद शव को पंखे से उतारकर नीचे रख लिया था। फिर बरामदे में रख लिया था। कुंवरजीत या उसके परिजनों ने कभी कोई मारपीट चंचल के साथ नहीं की थी।

प्रश्न 16- यह कि आपने पी०डब्लू० 8 साक्षी नीरज कुमार द्विवेदी के बयान सुने जिन्होंने अपने साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि मैं दिनांक 24.08.2020 को तहसीलदार खुर्जा के पद पर तैनात था। उस दिन S.D.M खुर्जा ने मुझे दूरभाष, पर मुझे अवगत कराया था कि मोहल्ला पंजाबियान खुर्जा में एक महिला का शव पड़ा है और आप वहां पर पहुंचकर पंचायतनामा की कार्यवाही कराए। वहां पर मौके पर थानाध्यक्ष मौजूद मिले थे। मय फोर्स दीगर कागजात के मौजूद मिले थे। मृतका का नाम चंचल पत्नी कुंवरजीत है, स्थित मोहल्ला बारादरी मोहल्ला पंजाबियान खुर्जा है। मेरे बोलने पर पंचायतनामा की कार्यवाही उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार द्वारा समय लगभग छः बजे प्रारम्भ की गई थी। महिला कां० नीलम भी पंचायतनामे की कार्यवाही करते समय मौजूद थी। पांच पंच नियुक्त किए गए थे, जिनके नाम आकाश, सतीश, जयपाल, कालीचरन, पोविन्द्र है। जब मैं पहुंचा था, तब शव अन्दर कमरे में बेड पर पड़ा हुआ था। पंचायतनामे की कार्यवाही करते समय शव को नीचे जमीन पर रखवाया गया था। शव का सिर उत्तर दिशा था और पैर दक्षिण दिशा में था। शव की दोनों आंखें बंद थी, शव का मुंह हल्का खुला था, जीभ हल्की सी बाहर थी। शव का रंग गेहुंआ था। शव के आंख, नाक, कान औसत थे, कद औसत, उम्र करीब 26 वर्ष शव एकहरा मजबूत किस्म का था, हथेली के पीछे ओम (ऊं) गुदा हुआ था। शव का हरा सूट था, सलवार गुलाबी रंग का था। शव पर जो सम्पत्ति मिली थी उसका विवरण पंचायतनामे में अंकित कराया था। शव मृतका पर चोंटे महिला कां० नीलम द्वारा देखकर बताया था। मृतका शव के गले पर नीलगू का निशान था, अन्य कोई जाहिरा चोंट नहीं थी। पंचायतनामे पर राह पंचान अंकित की गयी थी। पंचों ने बताय था कि गले में फांसी का फन्दा डालकर पंखे पर लटकाने से मृत्यु हई है। मेरे द्वारा अपने हस्तलेख में पंचायतनामे पर अपनी राय अंकित की थी। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव को शील सर्वे मोहर कर का० सुनील कुमार व महिला कां० नीलम को सुपुर्द कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मेरे द्वारा पंचायतनामे के साथ आए दीगर कागजातों पर हस्ताक्षर किए गए थे। पंचायतनामे की कार्यवाही समय 07:30 बजे समाप्त की गयी थी। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर- पी०डब्लू० 8 का सम्पूर्ण साक्ष्य पुलिस कार्यवाही पंचनामे से संबंधित है। पी०डब्लू० 7 व पी०डब्लू० 8 के बयानों में विरोधाभास है। शरीर पर कोई चोट नहीं थी और मृतका ने गले में फंदा डालकर पंखे से लटककर आत्महत्या की थी।

प्रश्न 17- साक्षी पी०डब्लू० 8 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि गवाह ने पत्रावली पर पेपर सं० 8A/2 ता 8A/4 को देखकर बताया कि यह वही पंचायतनामा है, जो मेरे द्वारा बोले जाने पर S.I जितेन्द्र कुमार द्वारा भरा गया था। इस पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पहचान की। इस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। पत्रावली पर पेपर सं० 8A/5 चिट्ठी सी.एम.ओ. को देखकर बताया कि इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया। गवाह ने पत्रावली पर पेपर सं० 8A/6 नमूना शील, पेपर सं० 8A/7 व 8A/8 फार्म 13 व पेपर सं० 8A/9 फोटोनाश, इन सभी प्रपत्रों पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान करके बताया कि इन प्रपत्रों पर मेरे ही हस्ताक्षर है। इन सभी प्रपत्रों को मेरे निर्देश पर S.I जितेन्द्र कुमार द्वारा अपने हस्तलेख में तैयार किया गया था। इन प्रपत्रों पर **प्रदर्श क–7 लगायत प्रदर्श क–9** डाले गए। फोन पर बात करके विवेचक ने मेरा बयान लिया था, इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर- सम्पूर्ण साक्ष्य पंचायतनामे से संबंधित है। कुछ नहीं कहना।

प्रश्न 18- यह कि आपने पी०डब्लू० 9 साक्षी S.I जितेन्द्र कुमार के बयान सुने जिन्होंने अपने साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि मैं दिनांक 24.08.2020 को थाना खुर्जा नगर में बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। उस दिन प्रभारी निरीक्षक खुर्जा नगर को CUG नम्बर पर सूचना प्राप्त हुई कि मो० पंजाबियान में चंचल पत्नी कुंवरजीत की मृत्यु हो गई है। मुझे इस सूचना के बाद थाना कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई और सूचना पर मैं व महिला आरक्षी नीलम व कां० सुनील कुमार के साथ मय सम्बन्धित कागजात व जिल्द पंचायतनामा के थाना से रवाना होकर घटनास्थल पर पहुंचा। वहां पर पहले से ही तहसीलदार नीरज द्विवेदी व बहुत सारी भीड़ मौजूद थी और मृतका के परिवार के लोग व रिश्तेदार विलाप कर रहे थे और मृतका की बॉडी कमरे के अन्दर एक बेड़ पर रखी थी। भीड़ में से तहसीलदार साहब ने पंचान नियुक्त कर शव को बेड से जमीन पर रखवाकर लोकलाज का ध्यान रखते हुए महिला आरक्षी की मदद से तहसीलदार साहब के निर्देशन में उनके द्वारा बोलने पर पंचायतनामा की कार्यवाही मेरे द्वारा लिखी गई। पंचान के नाम पंचायतनामे में अंकित किए गए थे। शव की स्थिति का विवरण पंचायतनामे में मेरे द्वारा अंकित किया गया था। शव का हुलिया व कपड़े का विवरण मेरे द्वारा अंकित किया था। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर- यह बात सही है कि मृतका चंचल की बॉडी पहले से बरामदे में रखी थी। जो कि लोगों द्वारा पंखे से उतार ली गई थी। घर पर अभियुक्तगण मौजूद नहीं थे।

प्रश्न 19- साक्षी पी०डब्लू० 9 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि शव की सम्पत्ति का विवरण मेरे द्वारा पंचायतनामे में तहसीलदार साहब के बोलने पर अंकित किया गया था। शव को महिला कां० के द्वारा उलट पलट करने पर देखा गया तो शव के गले पर रस्सी का निशान था। इसके अलावा शव पर कोई जाहिरा चोंट दिखाई नहीं दे रही थी। पंचायतनामे की कार्यवाही के दौरान पंचान से उनकी राय पूंछी गई तो पंचान ने बताया कि चंचल की मृत्यु गले में फांसी का फन्दा डालकर पंखे पर लटकाने के कारण हुई है। फिर भी सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाना आवश्यक है। पंचान ने अपनी राय के नीचे अपने हस्ताक्षर किए थे। तहसीलदार साहब ने भी अपने हस्तलेख में अपनी राय पंचायतनामे पर अंकित की थी और अपने हस्ताक्षर मेरे सामने किए थे। साक्षी ने पंचायतनामा पेपर सं० 8A/2 लगायत 8A/3 पर राय तहसीलदार के नीचे तहसीलदार साहब के हस्ताक्षर की शिनाख्त की। शव को मौके पर ही एक कपड़े में रखकर सील सर्वे मोहर कर पोस्टमार्टम कराने कां० सुनील कुमार व महिला कां० नीलम को सुपुर्द कर दिया था और हिदायत दी थी कि पोस्टमार्टम कराने के बाद उसके परिणाम से अवगत कराएं। पंचायतनामा मेरे हस्तलेख में है, इस पर मेरे हस्ताक्षर बने हैं। पंचायतनामा पेपर सं० 8A/2 लगायत 8A/4 पर मौजूद है, जो मेरे द्वारा अपने हस्तलेख में तैयार किया गया था। इस पंचायतनामा पर पूर्व में **प्रदर्श क–5** डाला जा चुका है व चिट्ठी सी.एम.ओ., नमूना सील, चालान नाश, फोटोनाश आदि ये सभी प्रपत्र मेरे द्वारा अपने हस्तलेख में तैयार किए गए थे। जिस पर तहसीलदार के हस्ताक्षर मौजूद हैं। इन सभी प्रपत्रों पर पूर्व में प्रदर्श डाले जा चुके हैं। मेरा बयान विवेचक द्वारा लिया गया था। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर- **पी०डब्लू० 9 के साक्ष्य में स्पष्ट है कि गले में रस्सी का निशान था। जो कि मृतका ने कमरे में बेड के ऊपर पंखे से लटककर स्वयं आत्महत्या की थी। अभियुक्तगण ने मृतका के साथ ना तो मारपीट की थी ना ही हत्या की थी।**

प्रश्न 20- साक्षी पी०डब्लू० 9 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि दिनांक 27.08.2020 को मैं अपने हमराही साथी कां० सुनील कुमार व PRD प्रताप सिंह चौहान के साथ रवाना होकर थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था गश्त, चेकिंग करता हुआ सुभाष रोड़ मोहल्ला खीरखानी पहुंचा तो मुखबिर खास ने सूचना दी कि कुंवरजीत कहीं जाने की फिराक में नेहरूपुर चुंगी पर खड़ा है। मुखबिर खास को साथ लेकर मैं हमराही साथियों के साथ नेहरूपुर चुंगी से कुछ पहले पहुंचा तो मुखबिर ने दूर से इशारा करके बताया कि जामुनी रंग की शर्ट व पैन्ट पहने जो खड़ा है, वही व्यक्ति है, बताकर मुखबिर वहां से चला गया। हमने घेर घोंटकर कुंरवजीत को नेहरूपुर चुंगी पर समय 12:25 बजे पर पकड़ लिया। जामातलाशी की गई तो कुंवरजीत से कोई अवैध वस्तु बरामद नहीं हुई। अभियुक्त को जुर्म से अवगत कराते हुए थाना पर लाकर दाखिल किया गया और विवेचक श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय को दूरभाष से गिरफ्तारी सूचना दी गई और मुझे अभियुक्त कुंवरजीत के घर पर गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए रवाना किया गया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर– साक्ष्य झूठा व मेनूप्लेटिड है। कुंवरजीत ने पुलिस को घर से उठाया था।

प्रश्न 21- साक्षी पी०डब्लू० 9 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि दिनांक 03.09.2020 को मैं शान्ति व्यवस्था हेतु महिला आरक्षी पूनम व कां० गौरव व अरविन्द के साथ थाना से रवाना होकर सुभाष रोड़ पर पहुंचा तो मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि आपके थाने पर पंजीकृत मुकदमे की वांछित अभियुक्ता प्रेमवती कहीं जाने की फिराक में है। नेहरूपुर चुंगी पर खड़ी है। इस सूचना पर विश्वास कर मुखबिर को साथ लेकर मैं अपने हमराही साथियों के साथ रवाना होकर नेहरूपुर चुंगी के पास पहुंचा तो दूर से ही मुखबिर ने इशारा करके बताया कि वह महिला जो हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहने खड़ी है, वही प्रेमवती है और मुखबिर वहां से चला गया। महिला कां० पूनम द्वारा दबिश देखर उस महिला को पकड़ा और महिला से नाम पता पूंछा तो उसने अपना नाम प्रेमवती बताया। प्रेमवती को उसके जुर्म से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में समय 11:25 बजे पर लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना विवेचक क्षेत्राधिकारी महोदय से दूरभाष के माध्यम से दी गई और मुझे अभियुक्ता की गिरफ्तारी की सूचना देने हेतु उसे मस्कन पर भेजा गया और मेरे द्वारा उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दे दी गई। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर- प्रेमवती करीब 70 वर्ष बुजुर्ग महिला थी, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है। नेहरूपुर चुंगी पर आने का सवाल ही नहीं उठता। घर से पुलिस ने उठाया था।

प्रश्न 22- पी०डब्लू० 9 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि मैने दिनांक 24.08.2020 को पंचायतनामे की समस्त कार्यवाही तहसीलदार नीरज द्विवेदी खुर्जा के निर्देशन व बोलने पर की थी। पंचायतनामा की कार्यवाही के दौरान नमूना मोहर मेरे द्वारा तैयार की गई थी। जो कि पत्रावली पर पेपर सं० 8A/11 के रूप में है और मेरे हस्तलेख में है। इस पर **प्रदर्श क–12** डाला गया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर- सम्पूर्ण साक्ष्य पुलिस कार्यवाही से संबंधित है। कुछ नहीं कहना।

प्रश्न 23- यह कि आपने पी०डब्लू० 10 साक्षी C.O सुरेश कुमार के बयान सुने जिन्होंने अपने साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि मैं दिनांक 27.08.2020 को क्षेत्राधिकारी खुर्जा के रूप में तैनात था। यह मुकदमा थाना खुर्जा नगर में दिनांक 25.08.2020 को पंजीकृत हुआ था। मैं उस समय अवकाश पर था। 27.08.2025 को मैं अवकाश से वापस आया, तब मुझे यह विवेचना प्राप्त हुई थी। नकल चिक, नकल रपट मेरे कार्यालय से मुझे प्राप्त हुई थी, जिसका अवलोकन कर विवरण सी.डी. में अंकित किया गया था। उसके बाद थाना खुर्जा नगर जाकर FIR लेखकर अवधेश कुमार का बयान अंकित किया था, उसके बाद वादी से सम्पर्क किया तो उसने कहा मैं अभी अपने गांव सिन्द्राराऊ में हूं, अभी नहीं आ सकता। बाद में सम्पर्क कर लूंगा। इसी बीच अभियुक्त कुंवरजीत की गिरफ्तारी थाना खुर्जा नगर पुलिस द्वारा कर ली गई थी। थाना खुर्जा नगर में हवालात में बंद अभियुक्त कुंवरजीत के बयान अंकित किए। उसके बाद अभियुक्त कुंवरजीत का रिमाण्ड न्यायालय में स्वीकृत कराया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर- कुछ नहीं कहना।

प्रश्न 24- साक्षी पी०डब्लू० 10 साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि दिनांक 28.08.2020 को वादी आकाश व उसके साथ गवाहान, बिट्टो, गंगा देवी, सत्य प्रकाश, गुड़िया आदि मेरे कार्यालय उपस्थित आए, जिनके बयान मेरे द्वारा अंकित किए गए। उसके बाद बयान गवाह पंचान योगेन्द्र, जयपाल, सतीश कुमार, कालीचरन अंकित किए व मृतका की बहन वर्षा का बयान अंकित किया गया। उसके बाद वादी को साथ लेकर घटनास्थल मोहल्ला पंजाबियान पहुंचा और वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी मौके पर ही तैयार किया। साक्षी ने सत्र वाद संख्या 36/2023 में मौजूद कागज सं० 7A/1 जो कि हस्तलिखित नक्शा नजरी 837/2020 धारा 498A, 304B IPC व 3/4 दहेज अधिनियम थाना खुर्जा नगर के रूप में है, को देखकर कहा कि यही नक्शा–नजरी मेरे द्वारा तैयार की गई थी। यह मेरे हस्तलेख में है, इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है, इस पर **प्रदर्श क–10** डाला गया। घटनास्थल निरीक्षण के बाद अभियुक्तगण की तलाश की

गई थी, लेकिन अभियुक्तगण नहीं मिले, घर पर ताला लगा था। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर- साक्ष्य झूठा है। वादी ने घटनास्थल पर कोई नक्शा-नजरी नहीं बनवाया।

प्रश्न 25- साक्षी पी०डब्लू० 10 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि दिनांक 30.08.2020 को मृतका चंचल की PM रिपोर्ट व मूल पंचनामा प्राप्त हुआ था, जिसका अवलोकन कर सी.डी. में अंकित किया गया था। दिनांक 03.08.2020 को थाना खुर्जा नगर से अभियुक्ता प्रेमवती की गिरफ्तारी की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने के बाद थाना खुर्जा नगर पहुंचकर अभियुक्ता प्रेमवती का बयान C.D में अंकित किया गया तथा अभियुक्ता प्रेमवती को रिमांड मा० न्यायालय में पेश किया गया। दिनांक 06.09.2020 को तहसील कार्यालय खुर्जा में पहुंचकर तहसीलदार नीरज द्विवेदी जिन्होंने पंचायतनामे की कार्यवाही की थी, का बयान C.D में अंकित किया गया। उसके बाद मैं अपने कार्यालय आया तो वहां पर गवाह राजू (मृतका का पिता) आया हुआ था, जिसने शादी कार्ड व शादी में दिए सामान की लिस्ट उपलब्ध कराई थी, जिसे संलग्न सी.डी किया गया। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद का० सं० 10A जो कि मृतका चंचल व अभि० कुंरवजीत की शादी का कार्ड है, को देखकर कहा कि यही कार्ड मृतका चंचल के पिता राजू ने उपलब्ध कराया था। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद का०सं० 11A जो कि शादी में दिए सामान की सूची है, को देखकर कहा कि यही सूची मृतका के पिता राजू ने उपलब्ध कराई थी और इसे मेरे द्वारा संलग्न सी.डी किया गया। इसके बाद मैं थाने खुर्जा नगर पहुंचा तो वहां पर मौजूद S.I जितेन्द्र सिंह जिन्होंने तहसीलदार के निर्देशन में पंचायतनामा भरा था व PM कराने वाले कां० सुनील कुमार व महिला कां० नीलम के बयान CD में अंकित किए, इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर- साक्ष्य झूठा है। शादी के सामान की लिस्ट कच्ची है। G.S.T वाले कोई बिल पत्रावली पर नहीं है। कभी कोई दहेज नहीं मांगा और दहेज मांगने या मारपीट से संबंधित कोई प्रार्थना पत्र पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

प्रश्न 26- साक्षी पी०डब्लू० 10 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि दिनांक 16.09.2020 को थाने से फोर्स लेकर मैं मोहल्ला पंजाबियान खुर्जा में पहुंचा और अभियुक्तगण के मस्कन पर दबिश दी गई लेकिन कोई नहीं मिला। दिनांक 07.10.2020 को थाना खुर्जा नगर से अभियुक्त सुनील कुमार की गिरफ्तारी की सूचना प्राप्त हुई, सूचना प्राप्त होने के बाद मैं थाने पहुंचा तो वहां पर अभियुक्त सुनील कुमार मर्दाना हवालात में मौजूद था, वहीं पर अभियुक्त के बयान मेरे द्वारा सी.डी. में अंकित किए गए, तत्पश्चात् अभियुक्त को मा० न्यायालय में रिमाण्ड स्वीकृति हेतु भेजा गया। दिनांक 08.10.2020 को मेरे कार्यालय पर एक प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्राप्त हुआ था, जिनका अवलोकन कर विवरण सी.डी. में अंकित किया, वहीं पर शपथपत्र देने वाले देवेन्द्र, ओंकार, मेघराज मेरे कार्यालय उपस्थित आए, जिनके बयान मेरे द्वारा अंकित किए गए। इसके बाद मैं मोहल्ला पंजाबियान पहुंचा और घटना के सम्बन्ध में जानकारी की गई तो वहां पर बहुत से लोग इक्ट्ठा हो गए थे। उन लोगों से मैने बयान स्वतंत्र गवाह, भगवत प्रसाद, फारूख, नौशाद, आसिफ के बयान CD में अंकित किए गए। अब तक की विवेचना में गवाहों के बयान के आधार पर नामजद अभियुक्त लख्मीचन्द को तलाश किया गया तो वो वहीं मोहल्ला पंजाबियान में मिला, उसका बयान CD में अंकित किया गया। दिनांक 16.10.2020 को जानकारी करने पर PM करने वाले डा० अमित कुमार का CSC गुलावठी व दूसरे चिकित्सक Dr. Sk indu का SSMJ अस्पताल खुर्जा में होने की जानकारी प्राप्त हुई। गुलावठी पहुंचकर Dr. अमित कुमार व SSMJ अस्पताल पहुंचकर Dr. S.K Indu का बयान CD में अंकित किया गया। दिनांक 18.10.2022 को अब तक की विवेचना संकलित साक्ष्य, बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, मेडिकल, PM रिपोर्ट पंचायतनामा आदि के आधार पर अभियुक्त कुंवरजीत, सुनील व अभियुक्ता प्रेमवती के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 498A, 304B IPC व 3/4 D.P Act में आरोप पत्र सं० 651/2020 दिनांक 18.10.2020 को प्रेषित किया था। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद का०सं० 3A/1 लगायत 5 जो कि मु.अ.सं० 837/2020 के कम्प्यूटरीकृत आरोप पत्र के रूप में है, को देखकर कहा कि यही आरोपपत्र मेरे द्वारा प्रेषित किया गया है, इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है, इस आरोप पत्र पर **प्रदर्श क–11** डाला गया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर– कुछ नहीं कहना।

प्रश्न 27– यह कि आपने पी०डब्लू० 11 साक्षिया हेड कांस्टेबल 808 नीलम देवी के बयान सुने जिन्होंने अपने साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि मैं दिनांक 24.08.2020 को थाना खुर्जा नगर पर महिला कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थी। उस दिन मैं SI जितेन्द्र कुमार द्वारा मुझे व कां० सुनील कुमार को मो० बारादरी पंजाबियान खुर्जा नगर में बुलाया गया था। उनके द्वारा बताया गया था कि एक महिला दहेज हो गई है, जिसके पंचायतनामे की कार्यवाही के लिए बुलाया गया था। मृतका श्रीमती चंचल पत्नी कुंवरजीत निवासी मोहल्ला बारादरी पंजाबियान थाना खुर्जा नगर की थी। मृतका के शव को उलट–पलट कर देखा गया था। पंचायतनामा को उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार द्वारा तहसीलदार की उपस्थिति में भरा गया था। मृतका के शव को उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार द्वारा सील सर्वे मोहर कर वास्ते पोस्टमार्टम हेतु मुझे व कां० सुनील कुमार को सुपुर्द किया गया था। मृतका के कपड़ों की डॉक्टर द्वारा मुझे सुपुर्द किया गया था। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?
उत्तर– **कुछ नहीं कहना।**

प्रश्न 28– साक्षी पी०डब्लू० 11 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि मैने मृतका के कपड़ों को थाने में लाकर HM को सुपुर्द कर दिया था। न्यायालय के समक्ष एक सीलबन्द पुलिन्दा फटी हुई व गली हुई अवस्था में है, जिस पर कुंवरजीत लिखा है व नीचे पंजाबियान लिखा है व अन्य प्रविष्टि अपठनीय है। पुलिन्दा को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वहीं कपड़े हैं, उसे न्यायालय की अनुमति से खोला गया। इसे पहचान कर बताया कि यह वहीं कपड़े, जो मृतका ने पंचायतनामे के समय पहने हुए थे व डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम के उपरान्त मुझे उपलब्ध कराए थे। मृतका ने जो कपड़े पहने थे, उसमें हरे कलर का सूट व गुलाबी कलर की सलवार था। सूट के गले पर सफेद लाल व पीले फूल के डिजाइन बने थे। सलवार गुलाबी व काले रंक का ब्रा, इन पर सामूहिक रूप से **वस्तु प्रदर्श क–1** डाला गया। मृतका ने दो बिछुए, बाएं हाथ की बीच की उंगली में, पीली घातु की अंगूठी और दाएं हाथ की बीच की उंगुली में पीली धातु का छल्ला व दोनों हाथ में कांच की काले व लाल और हरे रंग की चूंड़ियां पहनी थी। दोनों कानों में एक–एक पीली धातु का कुण्डल पहने थी और नाक में पीले धातु की नोज रिंग पहने थे और दोनों पैरों में सफेद धातु की पाजेब पहने हए थी। मृतका ने पंचायतनामा के समय यह सभी वस्तुएं पहने हुए थी। जो डॉक्टर द्वारा मुझे उपलब्ध कराया गया था। इन सभी पर सामूहिक रूप से **वस्तु प्रदर्श क–2** डाला गया। मेरा दरोगा जी ने पूंछताछ कर बयान लिए थे। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर- **कुछ नहीं कहना।**

प्रश्न 29- आपके विरूद्ध मुकदमा क्यों चला ?
उत्तर- मृतका चंचल बच्चे पैदा ना होने के कारण डिप्रेशन में रहती थी। जिस कारण उसने आत्महत्या कर ली। मुकदमा झूठा लिखाया गया।

प्रश्न 30- क्या सफाई साक्ष्य देना है ?
उत्तर- हां सफाई साक्ष्य में गवाह देने हैं।

प्रश्न 31- क्या आपको कुछ और कहना है ?
उत्तर- अभियुक्तगण को उक्त दहेज हत्या के मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। ताकि मोटी रकम वसूली जा सके। एक बार फैसले में वादी और उसके परिवारजनों ने अभियुक्तगण के परिवारजनों से बारह लाख रूपये मांगे थे, जो नहीं दे सके। मुकदमा झूठा लिखाया गया है।

सुनकर तसदीक किया।

दिनांक: 04.05.2026

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा (बुलन्दशहर)

कुलदीप- आशुलिपिक

Digitally signed by DILIP KUMAR
SACHAN
Date: 2026.05.04 16:30:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court